क्षेत्रीय जल क्रीड़ा पौंग डैम, तहसील फतेहपुर, जिला काँगड़ा के निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014 से 31.03.2024

भाग – एक

1 गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

(क) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा की गई। वर्तमान अंकेक्षण के उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्नलिखित प्रकार से है :-

(i) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 25.12.79 से 31.03.2011

1	पैरा -6	अनिर्णीत	
2	पैरा -8	अनिर्णीत	
3	पैरा -9	अनिर्णीत	
4	पैरा -14	अनिर्णीत	
5	पैरा -34(i)	निर्णीत	अपेक्षित रसीदों की पुष्टि उपरांत
6	पैरा -34(ii)	अनिर्णीत	
7	पैरा -37	अनिर्णीत	
8	पैरा -44	अनिर्णीत	
9	पैरा -46	अनिर्णीत	

(ii) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.04.2011 से 31.03.2014

1	पैरा -3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ड्राफ्ट संख्या 838268 दिनांक 19.07.14 के

			अंतर्गत भेजने की पुष्टि उपरान्त
2	पैरा -4 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा -4 (ग)	निर्णीत	₹8400 रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 28 दिनांक 14.11.14 को आय पक्ष में दर्ज करने की पुष्टि उपरांत
4	पैरा -4 (घ)	अनिर्णीत	
5	पैरा -4 (ङ)	अनिर्णीत	
6	पैरा -4 (च)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर
7	पैरा -5	अनिर्णीत	
8	पैरा -6	अनिर्णीत	
9	पैरा -7	अनिर्णीत	
10	पैरा -8 (क)	अनिर्णीत	
11	पैरा -8 (ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा -9	अनिर्णीत	
13	पैरा -10	अनिर्णीत	
14	पैरा -11	निर्णीत	12 नंबर ट्रैक सूटों की स्टॉक रजिस्टर में वापसी की पुष्टि उपरांत
15	पैरा -12	अनिर्णीत	
16	पैरा -13	निर्णीत	₹294646 की मुख्यालय से प्राप्त होने की पुष्टि उपरांत
17	पैरा -14	अनिर्णीत	
18	पैरा -15	निर्णीत	₹1540 की वसूली की पुष्टि उपरांत

19	पैरा -16	निर्णीत	₹500 की वसूली की पुष्टि उपरांत
20	पैरा -17 (क)	निर्णीत	स्टॉक रजिस्टर में शेष मात्रा की शुद्धि की पुष्टि उपरांत
21	पैरा -17 (ख)	निर्णीत	स्टॉक रजिस्टर में शेष मात्रा की शुद्धि की पुष्टि उपरांत
22	पैरा -18 (क)	निर्णीत	स्टेशनरी के सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टि व खपत की पुष्टि उपरांत
23	पैरा -18 (ख)	निर्णीत	क्रय पेंट की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टि व खपत की पुष्टि उपरांत
24	पैरा -18 (ग)	निर्णीत	स्टॉक रजिस्टर में दवाईयों की स्टॉक प्रविष्टि व खपत की पुष्टि उपरांत
25	पैरा -19	निर्णीत	समाचार पत्रों की नीलामी से ₹3000 आय प्राप्त करने की पुष्टि उपरांत
26	पैरा -20	अनिर्णीत	
27	पैरा -21	निर्णीत	टेलीफोन रजिस्टर की पुष्टि उपरांत
28	पैरा -22	निर्णीत	बिजली बिल रजिस्टर की पुष्टि उपरांत
29	पैरा -23	निर्णीत	भौतिक सत्यापन की पुष्टि उपरांत

31.03.24 तक अनिर्णीत पैरों की संख्या	38
वर्तमान में लगाए गये पैरे	20
कुल पैरे	58
वर्तमान में निर्णीत पैरों की संख्या	17
कुल अनिर्णीत पैरों का सार	41

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ख) (v)	बैंक से आहरित की गई राशि का दुरूपयोग/गबन	1.67
2	4(ख) (vi)	दोहरा भुगतान	0.65
3	5(iii)	सावधिक निवेश पर कम ब्याज प्रदान करना	4.79
4	6	न्यूनतम दर भरने वाली फर्म से स्काउट बाइक (स्काउट एस्पेक्ट 750) का क्रय न करके द्वितीय न्यूनतम दर भरने वाली फर्म से करने के कारण अपव्यय/वित्तीय हानि	3.26
5	10	वास्तविक गैस सिलैंडरों की जगह अधिक मात्रा में गैस सिलैंडर भरवाकर किया गया दुरूपयोग	1.22
6	15	निर्धारित सीमा से अधिक राशि आहरित करके नकद में भुगतान करना	27.19

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

क्षेत्रीय जल क्रीडा केंद्र पौंग डैम के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2024 तक के लेखाओं का अंकेक्षण, श्री राज कुमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 04.07.2024 से 3.08.2024 तक क्षेत्रीय जल क्रीडा केंद्र पौंग डैम में किया गया। लेखाओं की विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय एवं व्यय के

लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणाम आगामी अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

आय:- 8/14, 11/15, 3/17, 3/18, 3/19, 8/19, 6/20, 6/21,1/23 व 3/24

व्यय:- 2/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 7/19, 7/20, 4/21, 6/22 व 5/23

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र, पौंग डैम द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र, पौंग डैम द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना एवं अभिलेख प्रदान न करने के कारण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।

अंकेक्षण अवधि के दौरान केंद्र में निम्न विवरणानुसार नियन्त्रक अधिकारियों ने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया गया।

क्रम संख्या	नियन्त्रक अधिकारी का नाम	कार्य की अवधि
1	श्री राकेश कुमार	1.04.2014 से 31.03.2024

3 अंकेक्षण शुल्क :-

क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र, पौंग डैम के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2024 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹45000 आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 348 दिनांक 27.07.2024 द्वारा वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र, पौंग डैम से अनुरोध किया गया । जिसकी अनुपालना में वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र, पौंग डैम द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को के०

सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बैंक ड्राफ्ट संख्या 331697 दिनांक 30.07.2024 के अंतर्गत निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 **वित्तीय स्थिति:-**

क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र, पौंग डैम, द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट – "क से क-2"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना व प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र, पौंग डैम की व्यावसायिक निधि (Commericial Account), बोटिंग एंड कैंटीन निधि (Boating and Canteen Account), व खाद्य निधि (Diet) की अवधि 1.04.2014 से 31.03.2024 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:-

(i) व्यावसायिक निधि (Commericial Account) की वित्तीय स्थिति :-

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014-15	7134	0	271	7405	0	7405
2015-16	7405	0	287	7692	0	7692
2016-17	7692	0	376	8068	0	8068
2017-18	8068	0	289	8357	0	8357
2018-19	8357	0	285	8642	0	8642
2019-20	8642	0	287	8929	0	8929
2020-21	8929	0	238	9167	0	9167
2021-22	9167	0	241	9408	0	9408
2022-23	9408	0	248	9656	0	9656

2023-24	9656	0	62	9718	0	9718

दिनांक 31.03.24 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष = 9718

दिनांक 31.03.24 को स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 11518129493 के अनुसार अंतिम शेष =9411

अंतर = 307

अंतर का कारण :- अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 25.12.1979 से 31.03.2011 के पैरा संख्या 4(ii) पर उल्लेखित है।

(ii) बोटिंग एंड कैंटीन निधि (Boating and Canteen Account) की वित्तीय स्थिति :-

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	हस्तांतरित राशि (खाद्य निधि) (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014-15	7882	0	307	8189	0	0	8189
2015-16	8189	0	138	8327	0	7900	427
2016-17	427	0	3	430	160	0	270

दिनांक 31.03.24 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष =270

दिनांक 31.03.24 को पंजाब नेशनल बैंक संसारपुर टैरस के बचत खाता संख्या 2075000100029862 के अनुसार अंतिम शेष = 0

अंतर = 270

अंतर का कारण :- अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 25.12.1979 से 31.03.2011 के पैरा संख्या 4(iii) पर उल्लेखित है।

(iii) व्यावसायिक निधि (Commericial Account) व बोटिंग एंड कैंटीन निधि (Boating and Canteen Account) की रोकड़ बहियाँ तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 1.04.2014 से 31.03.2024 तक व्यावसायिक निधि (Commericial Account) व बोटिंग एंड कैंटीन निधि (Boating and Canteen Account) की रोकड़ बहियाँ तैयार नहीं की गई थी। जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः उक्त अवधि की रोकड़ बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अवधि 1.04.2014 से 31.03.2024 तक व्यावसायिक निधि (Commericial Account) व बोटिंग एंड कैंटीन निधि (Boating and Canteen Account) की रोकड़ बहियाँ तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) खाद्य निधि (Diet) की वित्तीय स्थिति :-

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014-15	944535	6301164	40046	7285745	6005349	1280396
2015-16	1280396	6279873	127304	7687573	4807276	2880297
2016-17	2880297	7865946	74321	10820564	8698391	2122173
2017-18	2122173	6342775	51144	8516092	8217236	298856
2018-19	298856	6638869	100827	7038552	4065906	2972646
2019-20	2972646	13906760	51750	16931156	15710508	1220648
2020-21	1220648	2527837	39499	3787984	2964020	823964
2021-22	823964	3054981	12105	3891050	3478332	412718

2022-23	412718	5762373	9602	6184693	4306887	1877806
2023-24	1877806	7909975	60936	9848717	8049397	1799320

(क) रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति में अंतर :-

रोकड़ बही के अनुसार अंतिम शेष	2045407
वित्तीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष	1799320
अंतर	246087

अन्तर का कारण :-

विवरण		नकद कॉलम	बैंक कॉलम	योग (₹)
दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही के अनुसार अंतिम शेष		**112494**	**1932913**	**2045407**
जमा	दिनांक 29.03.15 को रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या- 48 में रोकड़ कॉलम के वास्तविक अन्तिम शेष ₹267075 की जगह दिनांक 30.03.15 को ₹267065 उठाने के कारण कम शेष दर्ज करना	(+) 10	0	(+) 10
घटाव	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -36 माह 2/21 में आय पक्ष बैंक कॉलम के वास्तविक योग ₹558147 की जगह ₹558153 दर्ज करके अधिक योग दर्ज करना	0	(-) 6	(-) 6
घटाव	दिनांक 30.06.22 को रोकड़ बही पृष्ठ	(-)138091	0	(-)138091

	संख्या -65 में रोकड़ कॉलम के कुल योग ₹288936 में से ₹357979 व्यय घटाने उपरान्त वास्तविक शेष -₹69043 की जगह ₹69048 दर्ज करने के कारण रोकड़ का अधिक शेष दर्ज करना			
घटाव	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या-87 माह 2/23 बैंक कॉलम के योग ₹2796589 में से व्यय ₹698352 घटाने उपरान्त वास्तविक अंतिम शेष ₹2098237 की जगह ₹2107237 दर्ज करने के कारण अधिक शेष दर्ज करना	0	(-) 9000	(-)9000
घटाव	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 107 माह 10/23 बैंक कॉलम में दर्ज वास्तविक व्यय का योग ₹110000 की जगह ₹11000 दर्ज करने के कारण कम व्यय दर्ज करना	0	(-) 99000	(-) 99000
दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष		**(-) 25587**	**1824907**	**1799320**

(क) (i) दिनांक 29.03.15 को रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या -48 में रोकड़ कॉलम के वास्तविक अन्तिम शेष ₹267075 की जगह दिनांक 30.03.15 को ₹267065 उठाने के कारण ₹10 कम शेष दर्ज किया गया था। अतः कम शेष दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त त्रुटि की सुधार प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -36 माह 2/21 में आय पक्ष बैंक कॉलम के वास्तविक योग ₹558147 की जगह ₹558153 दर्ज करके ₹6 अधिक योग दर्ज किया गया था। अतः वास्तविक योग की जगह अधिक योग दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त त्रुटि की सुधार प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) दिनांक 30.06.22 को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -65 में रोकड़ कॉलम के कुल योग ₹288936 में से ₹357979 व्यय घटाने उपरान्त वास्तविक शेष -₹69043 की जगह ₹69048 दर्ज करने के कारण अधिक शेष दर्ज किया गया था। अतः वास्तविक शेष की जगह अधिक शेष दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त त्रुटि की सुधार प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या-87 माह 2/23 बैंक कॉलम के योग ₹2796589 में से व्यय ₹698352 घटाने उपरान्त वास्तविक अंतिम शेष ₹2098237 की जगह ₹2107237 दर्ज करने के कारण ₹9000 अधिक शेष दर्ज किया गया था। अतः वास्तविक शेष की जगह अधिक शेष दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त त्रुटि की सुधार प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(v) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 107 माह 10/23 बैंक कॉलम में दर्ज वास्तविक व्यय का योग ₹110000 की जगह ₹11000 दर्ज करने के कारण ₹99000 कम व्यय दर्ज किया गया था। अतः वास्तविक व्यय की जगह कम व्यय दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त त्रुटि की सुधार प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना 326 दिनांक 10.07.24 के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के ध्यानार्थ लाया गया। जिसकी अनुपालना में वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के पत्र संख्या –वाईएसएस एमआई आरडब्ल्यूएससी ऑडिट–डाईट/सी -66 /2012-1361 दिनांक 1.08.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि वित्तीय स्थिति व रोकड़ बही के अन्तर की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में कर दी जाएगी। अतः उपरोक्त उल्लेखित अंतरों की समायोजन प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में दर्ज की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त रोकड़ बही के व्यय पक्ष के नकद कॉलम में अन्य अंतर भी पाए गए। जिनकी समायोजन प्रविष्टियाँ भी रोकड़ बही में की जानी सुनिश्चित की जाए।

(vi) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -182 माह 8/19 के व्यय पक्ष में नकद कॉलम का वास्तविक योग ₹66560 की जगह ₹66434 दर्ज करने के कारण ₹126 कम व्यय दर्ज किया गया था। अतः उक्त त्रुटि की सुधार प्रविष्टि रोकड़ बही में की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(vii) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -05 माह 1/20 के व्यय पक्ष में नकद कॉलम का वास्तविक योग ₹111196 की जगह ₹98334 दर्ज करने के कारण ₹12862 कम व्यय दर्ज किया गया था। अतः उक्त त्रुटि की सुधार प्रविष्टि रोकड़ बही में की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(viii) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -36 माह 2/21 के व्यय पक्ष में नकद कॉलम का वास्तविक योग ₹459319 की जगह ₹457969 दर्ज करने के कारण ₹1350 कम व्यय दर्ज किया गया था। अतः उक्त त्रुटि की सुधार प्रविष्टि रोकड़ बही में की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ix) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -65 माह 6/22 के व्यय पक्ष में नकद कॉलम का वास्तविक योग ₹357988 की जगह ₹357979 दर्ज करने के कारण ₹9 कम व्यय दर्ज किया गया था। अतः उक्त त्रुटि की सुधार प्रविष्टि रोकड़ बही में की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(x) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -104 माह 8/23 के व्यय पक्ष में नकद कॉलम का वास्तविक योग ₹36475 की जगह ₹36875 दर्ज करने के कारण ₹400 अधिक व्यय दर्ज किया गया था। अतः उक्त त्रुटि की सुधार प्रविष्टि रोकड़ बही में की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) वित्तीय स्थिति व बैंक शेषों में अंतर :-

दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष		**₹1799320.00**
(i) दिनांक 31.03.2024 को के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 के अनुसार अन्तिम शेष	1619663.85	4939125.85
(ii) दिनांक 31.03.2024 तक सावधिक निवेश के अंतर्गत निवेशित राशि	3319462.00	
अंतर		**3139805.85**

बैंक समाधान विवरणी :-

दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष			**1799320.00**
घटाव	हस्तगत रोकड़ का शेष घटाव में होना (-25587) (वास्तव में हस्तगत रोकड़ मौजूद नहीं थी व उक्त शेष बैंक से समायोजित किया गया है)	(+)	25587

जमा	दिनांक 17.03.15 को बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि ₹3117.50 की जगह रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -46 में ₹3117 दर्ज करना	(+)	0.50
जमा	दिनांक 4.03.17 को बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि ₹125982.75 की जगह रोकड़ बही पृष्ठ संख्या – 109 में ₹125982 दर्ज करना	(+)	0.75
जमा	दिनांक 31.05.17 को बैंक द्वारा दिया गया ब्याज जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया।	(+)	33832
जमा	दिनांक 10.04.17 को बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि ₹414028.75 की जगह रोकड़ बही पृष्ठ संख्या – 112 में ₹414028 दर्ज करना	(+)	0.75
जमा	दिनांक 17.09.18 को बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि ₹8797.05 की जगह रोकड़ बही पृष्ठ संख्या – 155 में ₹8797 दर्ज करना	(+)	0.05
जमा	दिनांक 20.07.19 को बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि ₹375322.40 की जगह रोकड़ बही पृष्ठ संख्या – 176 में ₹375322 दर्ज दर्ज करना	(+)	0.40
जमा	दिनांक 20.07.19 को बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि ₹381812.40 की जगह रोकड़ बही पृष्ठ संख्या – 176 में ₹381812 दर्ज करना	(+)	0.40
जमा	दिनांक 31.08.19 को राजकीय कोष से बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया	(+)	1568

जमा	दिनांक 31.08.19 को बैंक द्वारा दिया गया ब्याज जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया।	(+)	18653
जमा	दिनांक 26.02.21 को बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया	(+)	3500
जमा	माह 3/21 को रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या-37 वाउचर संख्या- 5203 के अंतर्गत दर्ज व्यय राशि ₹26130 के विरुद्ध बैंक द्वारा दिनांक 4.03.21 को राशि ₹26123 डेबिट करना	(+)	7
जमा	दिनांक 8.11.21 को बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया	(+)	1
जमा	दिनांक 13.12.21 को निरस्त आर० टी० जी० एस० को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करना	(+)	2400
जमा	माह 12/21 को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -57 पर व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5468 के अंतर्गत दर्ज व्यय ₹7200 को बैंक द्वारा डेबिट न करना	(+)	7200
जमा	माह 12/21 को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -57 पर व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5470 के अंतर्गत दर्ज व्यय ₹4500 को बैंक द्वारा डेबिट न करना	(+)	4500
जमा	माह 12/21 को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -57 पर व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5471 के अंतर्गत दर्ज व्यय ₹9000 को बैंक द्वारा डेबिट न करना	(+)	9000
जमा	दिनांक 11.05.22 को रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या-61 पर	(+)	6

	दर्ज व्यय राशि ₹11256 के विरुद्ध बैंक द्वारा दिनांक 4.06.22 को डेबिट की गई राशि ₹11250		
जमा	दिनांक 30.11.22 को बैंक द्वारा दिया गया ब्याज जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया।	(+)	4273
जमा	दिनांक 28.02.23 को बैंक द्वारा ब्याज दी गई राशि ₹6741 की जगह रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या -84 पर कम राशि ₹6441 दर्ज करना	(+)	300
जमा	दिनांक 3.05.22 को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -62 पर व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5594 के अंतर्गत दर्ज व्यय को बैंक द्वारा डेबिट न करना	(+)	2420
जमा	माह 5/23 में रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या-96 पर दर्ज व्यय राशि ₹45785 के विरुद्ध बैंक द्वारा दिनांक 30.05.23 को राशि ₹45787 डेबिट करना	(+)	2
जमा	रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या-96 पर वाउचर संख्या-6117 के वास्तविक व्यय ₹12690 की जगह 12960 दर्ज करके बैंक द्वारा दिनांक 30.05.23 को ₹12690 डेबिट करना	(+)	270
घटाव	दिनांक 16.06.12 को व्यय राशि ₹23340 की जगह चैक संख्या 724240 के अंतर्गत अधिक भुगतान राशि ₹24340	(-)	1000
घटाव	दिनांक 16.03.13 को रसीद संख्या 1994 के अंतर्गत प्राप्त राशि को बैंक में जमा न करवाना	(-)	500
घटाव	दिनांक 22.04.13 को चैक संख्या 724301 के अंतर्गत अधिक भुगतान राशि	(-)	1

घटाव	दिनांक 31.08.15 को चैक संख्या 839612 के अंतर्गत व्यय राशि ₹10210 की जगह रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -70 में ₹10206 दर्ज करना	(-)	4
घटाव	दिनांक 21.08.14 को बैंक द्वारा क्रेडिट की गई राशि ₹92290 की जगह रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -16 पर ₹92400 दर्ज करके अधिक दर्ज करना	(-)	110
घटाव	दिनांक 26.11.15 को चैक संख्या 212604 से 212606 के अंतर्गत बैंक द्वारा काटे गए प्रभारों को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज न करना	(-)	75
घटाव	दिनांक 15.01.18 को बैंक द्वारा काटे गए बैंक प्रभारों की राशि ₹15 को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज न करना	(-)	15
घटाव	दिनांक 15.01.18 को बैंक द्वारा काटे गए बैंक प्रभारों की राशि ₹15 को रोकड़ बही के व्यय पक्ष की जगह पृष्ठ संख्या -136 में आय पक्ष में गलत दर्ज करना	(-)	15
घटाव	दिनांक 10.04.18 को बैंक द्वारा काटे गए बैंक प्रभारों की राशि ₹15 को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज न करना	(-)	15
घटाव	दिनांक 10.04.18 को बैंक द्वारा काटे गए बैंक प्रभारों की राशि ₹15 को रोकड़ बही के व्यय पक्ष की जगह माह 4/21 में पृष्ठ संख्या 145 पर आय पक्ष में गलत दर्ज करना	(-)	15
घटाव	रोकड़ बही के व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 4208 पृष्ठ संख्या 163 में दर्ज व्यय ₹32000 को बैंक द्वारा आर० टी० जी० एस० निरस्त करके ₹31995 क्रेडिट प्रदान करने	(-)	5

	उपरान्त पुनः दिनांक 14.12.18 को ₹32000 की राशि डेबिट करना		
घटाव	दिनांक 21.08.20 को क्रडिट प्रदान की गई राशि ₹51965 की जगह रोकड़ बही के आय पक्ष पृष्ठ संख्या -22 पर ₹52000 दर्ज करके अधिक आय दर्ज करना	(-)	35
घटाव	बैंक से चैक संख्या 317959 दिनांक 9.11.21 के अंतर्गत आहरित की गई राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया	(-)	49000
घटाव	बैंक से चैक संख्या 317965 दिनांक 19.01.22 के अंतर्गत आहरित की गई राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया	(-)	49000
घटाव	बैंक से चैक संख्या 317966 दिनांक 9.03.22 के अंतर्गत आहरित की गई राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया	(-)	20000
घटाव	बैंक से चैक संख्या 317967 दिनांक 22.03.22 के अंतर्गत आहरित की गई राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया	(-)	49000
घटाव	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 60 माह 3/22 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5542 के अंतर्गत मक्कड़ एजेंसी को नकद कॉलम में दर्ज़ व्यय ₹1090 को पुनः दिनांक 22.04.22 के अंतर्गत एन० ई० एफ० टी० द्वारा दोहरा भुगतान करना	(-)	1090
घटाव	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 60 माह 3/22 व्यय पक्ष में वाउचर	(-)	1090

	संख्या 5542 के अंतर्गत बैंक से भुगतान राशि का रोकड़ खाते में इन्द्राज		
घटाव	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 60 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5543 माह 4/22 के अंतर्गत मै० गैस एजेंसी शहीद अशोक कुमार फतेहपुर को दिनांक 22.04.22 व पुनः दिनांक 11.05.22 के अंतर्गत दोहरा भुगतान करना	(-)	21200
घटाव	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 58 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5500 माह 1/22 के अंतर्गत मै० कौल इलेक्ट्रिकल्स तलवाड़ा को दिनांक 7.02.22 व पुनः दिनांक 4.08.22 के अंतर्गत दोहरा भुगतान करना	(-)	3070
घटाव	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 67 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5713 माह 7/22 के अंतर्गत वरुण गुप्ता को बैंक आर० टी० जी० एस० के अंतर्गत भुगतान की गई राशि का रोकड़ कॉलम में इन्द्राज करना	(-)	3960
घटाव	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 82 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5906 माह 1/23 के अंतर्गत दिनांक 25.01.23 को बैंक आर० टी० जी० एस० के अंतर्गत भुगतान की गई राशि का रोकड़ कॉलम में इन्द्राज करना	(-)	9554
घटाव	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 65 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5693 माह 6/22 के अंतर्गत मै० पुरी स्वीट शॉप तलवाड़ा को वास्तविक व्यय ₹15270 की जगह दिनांक 25.07.22 को बैंक द्वारा डेबिट की गई राशि ₹15720	(-)	450

घटाव	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 91 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 6064 माह 4/22 के अंतर्गत श्री अजय कुमार को दिनांक 14.04.23 को ₹9800 एन० ई० एफ० टी०, पुनः दिनांक 21.04.23 को चैक संख्या 36133 के अंतर्गत ₹9800 भुगतान की गई राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना, अधिक भुगतान की वसूली रसीद संख्या 3231 दिनांक 27.04.23 के अंतर्गत आय पक्ष में पृष्ठ संख्या -91 पर रोकड़ कॉलम में ₹9800 व पुनः आय पक्ष में पृष्ठ संख्या - 95 पर बैंक कॉलम में ₹9800 दोहरी आय दर्ज करना	(-)	19600 (9800+9800)
घटाव	रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 98 माह 6/23 वाउचर संख्या 6123 से 6126 के अंतर्गत दर्ज व्यय 11970 की एन० ई० एफ० टी० निरस्त होने पर बैंक द्वारा ₹11976 की राशि क्रेडिट करके दिनांक 7.06.23 को पुनः एन० ई० एफ० टी० के अंतर्गत ₹11976 डेबिट करना	(-)	6
घटाव	दिनांक 6.06.23 को निरस्त एन० ई० एफ० टी० को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या- 98 आय पक्ष में गलत इन्द्राज करना	(-)	11976
घटाव	दिनांक 1.06.23 को निरस्त एन० ई० एफ० टी० को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या- 98 आय पक्ष में गलत इन्द्राज करना	(-)	2544
घटाव	दिनांक 6.06.23 को निरस्त एन० ई० एफ० टी० को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या- 98 आय पक्ष में गलत इन्द्राज करना	(-)	2544
घटाव	दिनांक 6.06.23 को निरस्त एन० ई० एफ० टी० को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या- 98 आय पक्ष में गलत इन्द्राज करना	(-)	3960

घटाव	दिनांक 6.06.23 को निरस्त एन० ई० एफ० टी० को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या- 98 आय पक्ष में गलत इन्द्राज करना	(-)	3960
घटाव	रोकड़ बही के व्यय पक्ष में वाउचर संख्या – 6138 माह 6/23 के अंतर्गत व्यय राशि ₹9660 की जगह बैंक द्वारा ₹9720 की राशि डेबिट करने के कारण मै० कुलवंत जनरल स्टोर तलवाड़ा को अधिक भुगतान करना	(-)	60
घटाव	रोकड़ बही के व्यय पक्ष में पृष्ठ संख्या – 107 वाउचर संख्या 6255 माह 10/23 के अंतर्गत आर० टी० जी० एस० द्वारा भुगतान की गई राशि को रोकड़ कॉलम में गलत दर्ज करना	(-)	2968
घटाव	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या-106 के व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 6244 माह 9/23 के दौरान बिल संख्या 168 दिनांक 14.07.23 राशि ₹2800 का भुगतान श्री गुरविंदर को पहले नकद व पुनः ₹2300 का आर० टी० जी० एस० द्वारा दोहरा भुगतान करना	(-)	2300
घटाव	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 105 के व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 6241 माह 9/23 के अंतर्गत श्री दीपक गुप्ता को नकद में ₹2772 व पुनः आर० टी० जी० एस० के द्वारा दिनांक 7.10.23 को दोहरा भुगतान करना	(-)	2772
घटाव	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 105 के व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 6242 माह 9/23 के अंतर्गत श्री वरुण गुप्ता को नकद में ₹2772 व पुनः आर० टी० जी० एस० के द्वारा दिनांक	(-)	2772

	7.10.23 को दोहरा भुगतान करना		
घटाव	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 113 के व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 6338 माह 12/23 के अंतर्गत मै०कोचर हार्डवेयर स्टोर तलवाड़ा को आर० टी० जी० एस० द्वारा दिनांक 14.12.23 ₹28510 व पुनः दिनांक 7.02.24 को दोहरा भुगतान करना	(-)	28510
घटाव	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -95 वाउचर संख्या -6101 माह 5/23 चैक संख्या -036132 दिनांक 12.04.23 के अंतर्गत सरकारी शुल्क के रूप में भेजी गई राशि ₹1454626 की जगह रोकड़ बही में ₹1454624 दर्ज करके कम व्यय दर्ज करना	(-)	2
जमा	दिनांक 31.03.24 तक सावधिक निवेश के अंतर्गत निवेशित राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया	(+)	3319462
दिनांक 31.03.2024 तक बैंकों के अनुसार अंतिम शेष (के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 = ₹1619663.85 व सावधिक निवेश के अंतर्गत निवेशित राशि = ₹3319462)			**₹4939125.85**

(ख)(i) बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि से कम राशि रोकड़ बही में दर्ज करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार के० सी० सी० बैंक संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि की जगह रोकड़ बही में कम राशि दर्ज की गई थी।

क्रम संख्या	दिनांक	बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि (₹)	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	रोकड़ बही में दर्ज राशि (₹)	कम दर्ज राशि (₹)
1	17.03.15	3117.50	3117	46	0.50
2	4.03.17	125982.75	125982	109	0.75
3	10.04.17	414028.75	414028	112	0.75
4	17.09.18	8797.05	8797	155	0.05
5	20.07.19	375322.40	375322	176	0.40
6	20.07.19	381812.40	381812	176	0.40
				योग	**2.85**

अतः बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि की जगह कम राशि दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त कम राशि का लेखांकन रोकड़ बही के आय पक्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) बैंक द्वारा क्रेडिट किए गये ब्याज की राशि ₹56758 का लेखांकन रोकड़ बही में न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 द्वारा क्रेडिट किए गये ब्याज का लेखांकन रोकड़ बही के आय पक्ष में नहीं किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:-

क्रम संख्या	दिनांक	बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान किया गया ब्याज (₹)
1	31.05.17	33832
2	31.08.19	18653
3	30.11.22	4273
	योग	**56758**

अतः बैंक द्वारा प्रदान किए गये ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि का लेखांकन रोकड़ बही के आय पक्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) बैंक द्वारा क्रेडिट की गई राशि ₹5069 का लेखांकन रोकड़ बही में न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार के० सी० सी० बैंक संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 द्वारा क्रेडिट की गई राशि का लेखांकन रोकड़ बही के आय पक्ष में नहीं किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:-

क्रम संख्या	दिनांक	बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान किया गया ब्याज
1	31.08.19	1568
2	26.02.21	3500
3	8.11.21	1
	योग	**5069**

अतः उपरोक्त उल्लेखित बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि का लेखांकन रोकड़ बही में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि का लेखांकन रोकड़ बही के आय पक्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) बैंक द्वारा काटे गये बैंक प्रभारों की राशि ₹105 का रोकड़ बही में इन्द्राज न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि के० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 द्वारा बैंक द्वारा काटे गये बैंक प्रभारों का रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	दिनांक	राशि (₹)
1	26.11.15	75
2	15.01.18	15
3	10.04.18	15
	योग	**105**

अतः उक्त बैंक प्रभारों के रूप में काटी गई राशि को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि का इन्द्राज रोकड़ बही के व्यय पक्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) बैंक द्वारा काटे गये बैंक प्रभारों की राशि ₹30 का रोकड़ बही के आय पक्ष में गलत इन्द्राज करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि बैंक द्वारा काटे गये बैंक प्रभारों का रोकड़ बही के आय पक्ष में गलत इन्द्राज किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	दिनांक	राशि (₹)
1	15.01.18	15
2	10.04.18	15
	योग	**30**

अतः उक्त बैंक प्रभारों के रूप में काटी गई राशि को रोकड़ बही के आय पक्ष में गलत इन्द्राज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि का इन्द्राज रोकड़ बही के व्यय पक्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(v) बैंक से आहरित की गई राशि का रोकड़ बही में इन्द्राज न करके ₹167000 का दुरूपयोग/ गबन :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 से विभिन्न तिथियों को आहरित की गई राशियों ₹167000 का रोकड़ बही में लेखांकन न करके दुरूपयोग/ गबन किया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	चैक संख्या	दिनांक	आहरित की गई राशि (₹)
1	317959	9.11.21	49000
2	317965	19.01.22	49000
3	317966	9.03.22	20000
4	317967	22.03.22	49000
		योग	**167000**

उक्त दुरूपयोग/ गबन का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 333 दिनांक 18.07.24 के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के ध्यानार्थ लाया गया। जिसकी अनुपालना में वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के पत्र संख्या –वाईएसएस एमआई आरडब्ल्यूएससी ऑडिट –डाईट/ सी -66 /2012-1342 दिनांक 1.08.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि बैंक से आहरित की गई राशि को गलती से रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज नहीं किया गया था। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि बैंक से आहरित की गई उक्त राशियों को रोकड़ बही के रोकड़ कॉलम में दर्ज न करके दुरूपयोग/गबन किया गया था। यहाँ यह भी उल्लेखित करना अनिवार्य है कि उक्त बैंक से नकद आहरित की गई राशि के व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर अंकेक्षण में

सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया व न ही रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज था। जिसके कारण स्वतः स्पष्ट है कि उक्त राशि का गबन/दुरूपयोग किया गया था। अतः सम्पूर्ण राशि ₹167000 की वसूली ब्याज व दण्ड ब्याज सहित सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(vi) एक ही फर्म/व्यक्ति को एक ही बिल वाउचर के अंतर्गत दो-बार भुगतान करने के कारण दोहरा भुगतान ₹65301 :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम में निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत विभिन्न फार्मों को दोहरा भुगतान किया गया था।

(क) वाउचर संख्या 5500 माह 1/22 के अंतर्गत कौल इलेक्ट्रिकल्स तलवाड़ा को एन० ई० एफ० टी० के अंतर्गत दिनांक 7.02.22 को ₹3070 की राशि के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 से हस्तांतरित की गई थी व पुनः दिनांक 4.08.22 को ₹3070 की राशि एन० ई० एफ० टी० के अंतर्गत हस्तांतरित की गई थी। फलस्वरूप एक ही बिल/वाउचर के अंतर्गत दोहरा भुगतान किया गया था। अतः एक ही बिल/वाउचर के अंतर्गत दोहरा भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दोहरे भुगतान की वसूली सम्बन्धित फर्म अथवा दोहरा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) वाउचर संख्या 5543 माह 3/22 के अंतर्गत मै० शहीद अशोक कुमार गैस एजेंसी, फतेहपुर को एन० ई० एफ० टी० के अंतर्गत दिनांक 22.04.22 को ₹21200 की राशि के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 से एन० ई० एफ० टी० के अंतर्गत हस्तांतरित की गई थी व पुनः दिनांक 11.05.22 को ₹21200 की राशि एन० ई० एफ० टी० के अंतर्गत हस्तांतरित की गई थी। फलस्वरूप एक ही बिल/वाउचर के अंतर्गत दोहरा भुगतान किया गया था। अतः एक ही बिल/वाउचर के अंतर्गत दोहरा भुगतान करने

का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दोहरे भुगतान की वसूली सम्बन्धित फर्म अथवा दोहरे भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) वाउचर संख्या 5542 माह 3/22 के अंतर्गत मक्कड़ एजेंसी, तलवाड़ा को ₹1090 का भुगतान रोकड़ बही के व्यय पक्ष के रोकड़ कॉलम में दर्ज किया गया था व पुनः एन० ई० एफ० टी० के अंतर्गत दिनांक 22.04.22 को ₹1090 की राशि के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 से हस्तांतरित की गई थी। फलस्वरूप एक ही बिल/वाउचर के अंतर्गत दोहरा भुगतान किया गया था। अतः एक ही बिल/वाउचर के अंतर्गत दोहरा भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दोहरे भुगतान की वसूली सम्बन्धित फर्म अथवा दोहरा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) वाउचर संख्या 6244 माह 9/23, बिल संख्या 167 दिनांक 14.07.23 के अतर्गत श्री गुरिंदर सिंह, तलवाड़ा को ₹2800 का भुगतान रोकड़ बही के व्यय पक्ष में नकद कॉलम में दर्ज किया गया था व दिनांक 29.09.23 को उसी बिल हेतु पुनः ₹2300 की राशि के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 से एन० ई० एफ० टी० के अंतर्गत हस्तांतरित की गई थी। फलस्वरूप एक ही बिल/वाउचर के अंतर्गत उक्त फर्म को दोहरा भुगतान किया गया था। अतः एक ही बिल/वाउचर के अंतर्गत दोहरा भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दोहरे भुगतान की वसूली सम्बन्धित फर्म अथवा दोहरा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ङ) वाउचर संख्या 6338 माह 12/23 के अंतर्गत मै० कोचर हार्डवेयर स्टोर तलवाड़ा को एन० ई० एफ० टी० के अंतर्गत दिनांक 14.12.23 को ₹28510 की राशि के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 से हस्तांतरित की गई थी व पुनः

दिनांक 7.02.24 ₹28510 की राशि एन० ई० एफ० टी० के अंतर्गत हस्तांतरित की गई थी। फलस्वरूप एक ही बिल/वाउचर के अंतर्गत दोहरा भुगतान किया गया था। अतः एक ही बिल/वाउचर के अंतर्गत दोहरा भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दोहरे भुगतान की वसूली सम्बन्धित फर्म अथवा दोहरा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(च) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 4373 माह 7/19 के दौरान मै० ठाकुर मार्वल एंड स्टेशनरी स्टोर तलवाड़ा को निम्नलिखित बिलों के अंतर्गत पाइपों के क्रय करने पर चैक संख्या 308026 दिनांक 25.07.19 के अंतर्गत ₹7622 का भुगतान किया गया था।

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनांक	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	राशि (₹)
1	629/10.06.19	पाइप 2.5"	160 फुट	3587
2	640/ 11.06.19	पाइप 2.5"	160 फुट	3138
3	649/ 12.06.19	पाइप 2.5"	40 फुट	897
			योग	**7622**

लेकिन उक्त फर्म को वाउचर संख्या 4388 माह 7/19 के अंतर्गत पुनः बिल संख्या 629 दिनांक 10.06.19 के अंतर्गत ₹3587 का नकद में भुगतान किया गया था। फलस्वरूप उक्त फर्म को एक ही बिल हेतु दोहरा भुगतान किया गया था। अतः एक ही बिल हेतु दोहरा भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त दोहरे भुगतान की वसूली सम्बन्धित फर्म अथवा दोहरा भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(छ) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 105 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 6241 माह 9/23 के अंतर्गत श्री दीपक गुप्ता को नकद में ₹2772 व पुनः आर० टी० जी० एस० द्वारा दिनांक 7.10.23 को ₹2772 का भुगतान करके दोहरा भुगतान किया गया था। अतः एक ही बिल /वाउचर के अंतर्गत दोहरा भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दोहरे भुगतान

की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति अथवा दोहरा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ज) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 105 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 6242 माह 9/23 के अंतर्गत श्री वरुण गुप्ता को नकद में ₹2772 व पुनः आर० टी० जी० एस० द्वारा दिनांक 7.10.23 को ₹2772 का भुगतान करके दोहरा भुगतान किया गया था। अतः एक ही बिल /वाउचर के अंतर्गत दोहरा भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दोहरे भुगतान की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति अथवा दोहरा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित दोहरे भुगतान की राशि ₹65301 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 355 दिनांक 31.07.24 के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के ध्यानार्थ लाया गया। जिसकी अनुपालना में वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के पत्र संख्या –वाईएसएस एमआई आरडब्ल्यूएससी ऑडिट –डाईट/ सी -66 /2012-1355 दिनांक 1.08.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि विभिन्न फर्मों को गलती से दोहरा भुगतान किया गया था। जिसकी वसूली शीघ्र कर ली जाएगी। अतः प्रतियुत्तर अनुसार दोहरे भुगतान की वसूली शीघ्र अति शीघ्र सम्बन्धित फर्मों अथवा दोहरा भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(vii) वास्तविक व्यय की जगह ₹285 अधिक व्यय दर्ज करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही के व्यय पक्ष में वास्तविक व्यय की जगह अधिक व्यय दर्ज किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	वाउचर संख्या	रोकड़ बही में दर्ज व्यय (₹)	वास्तविक व्यय / बैंक द्वारा डेबिट की गई राशि (₹)	बैंक द्वारा डेबिट की तिथि	अधिक दर्ज व्यय (₹)
1	3/21	37	5203	26130	26123	4.03.21	7
2	5/22	61	5561	11256	11250	4.06.22	6
3	5/23	96	6113	45787	45785	30.05.23	2
4	5/23	96	6117	12960	12690	30.05.23	270
			योग	**96133**	**95848**		**285**

अतः वास्तविक व्यय की जगह अधिक व्यय दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त त्रुटि की शुद्धि की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(viii) बैंक द्वारा भुगतान न की गई राशियों ₹20700 को आय पक्ष में दर्ज न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार रोकड़ बही के बैंक कॉलम में दर्ज व्यय को दिनांक 31.03.24 तक के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 से डेबिट नहीं किया गया था। अतः बैंक द्वारा उक्त भुगतानों को न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त भुगतान न की गई राशियों को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि (₹)
1	5468	12/21	57	7200
2	5470	12/21	57	4500
3	5471	12/21	57	9000
			योग	**20700**

(ix) निरस्त एन० ई० एफ० टी० की राशि ₹2400 को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 13.12.21 को के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 में निरस्त आर० टी० जी० एस० ₹2400 को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज नहीं किया गया था। अतः उक्त बैंक द्वारा निरस्त आर० टी० जी० एस० को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(x) ब्याज का कम लेखांकन करना ₹300 :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 28.02.23 को के० सी० सी० बी० संसार पुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 में क्रडिट प्रदान किए गये ब्याज ₹6741 को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -84 पर ₹6441 दर्ज करके ₹300 कम ब्याज दर्ज किया गया था। अतः वास्तविक ब्याज की जगह कम ब्याज दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व कम ब्याज का लेखांकन रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(xi) बैंक द्वारा भुगतान राशि ₹17572 का रोकड़ बही के व्यय पक्ष के रोकड़ कॉलम में गलत इन्द्राज करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 से भुगतान की गई राशियों को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में नकद कॉलम में दर्ज किया गया था। अतः बैंक खाते से भुगतान राशि को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में नकद कॉलम में दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त त्रुटि की शुद्धि की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	माह	वाउचर संख्या	राशि (₹)
1	60	3/22	5542	1090
2	67	7/22	5713	3960
3	82	1/23	5906	9554
4	107	10/23	6255	2968
			योग	**17572**

(xii)बैंक से भुगतान न लेने के कारण दर्ज व्यय को आय पक्ष में दर्ज न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 3.05.22 को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या - 62 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5594 के अंतर्गत बैंक कॉलम में दर्ज व्यय ₹2420 को के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 से डेबिट नहीं हुआ था। अतः रोकड़ बही के व्यय पक्ष के बैंक कॉलम में दर्ज व्यय को बैंक से भुगतान न लेने के कारण उक्त राशि को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(xiii) बैंक द्वारा निरस्त उपरान्त पुनः भुगतान की गई आर० टी० जी० एस० की राशियों ₹24984 को रोकड़ बही के आय पक्ष में गलत इन्द्राज करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 से विभिन्न तिथियों को निरस्त उपरांत पुनः भुगतान की गई आर० टी० जी० एस० की राशियों को रोकड़ बही के आय पक्ष में गलत इन्द्राज किया गया था। जबकि वास्तव में उक्त निरस्त आर० टी० जी० एस० की राशियों को बैंक द्वारा दिनांक 7.06.23 को पुनः डेबिट कर दिया गया था। फलस्वरूप निरस्त उपरान्त पुनः भुगतान की गई आर० टी० जी० एस० की राशियों का रोकड़ बही के आय पक्ष में गलत इन्द्राज किया गया था। अतः निरस्त उपरांत पुनः भुगतान की गई आर० टी० जी० एस० की राशियों को रोकड़ बही के आय पक्ष में गलत इन्द्राज करने का औचित्य स्पष्ट किया

जाए व उक्त त्रुटि की शुद्धि की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	एन० ई० एफ० टी० निरस्त होने की तिथि	बैंक द्वारा पुनः डेबिट करने की तिथि	राशि (₹)
1	98	1.06.23	7.06.23	2544
2	98	6.06.23	7.06.23	11976
3	98	6.06.23	7.06.23	2544
4	98	6.06.23	7.06.23	3960
5	98	6.06.23	7.06.23	3960
			योग	**24984**

(xiv) वास्तविक व्यय की जगह अधिक भुगतान करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज व्यय की जगह के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 से ₹510 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः वास्तविक व्यय की जगह अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित फर्म अथवा भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	माह	वाउचर संख्या	फर्म का नाम एवं पत्ता	वास्तविक व्यय (₹)	बैंक द्वारा डेबिट करने की तिथि	बैंक द्वारा डेबिट की गई राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	65	6/22	5693	मै० पुरी स्वीट शॉप तलवाड़ा	15270	25.07.22	15720	450
2	99	6/23	6138	मै० कुलवंत जनरल स्टोर तलवाड़ा	9660	7.06.23	9720	60
				योग	**24930**		**25440**	**510**

(xv) वास्तविक आय की जगह अधिक आय दर्ज करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि की जगह रोकड़ बही के आय पक्ष में अधिक आय दर्ज की गई थी। अतः वास्तविक आय की जगह अधिक आय दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त त्रुटि की शुद्धि प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	दिनांक	बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि (₹)	रोकड़ बही में दर्ज राशि (₹)	अधिक दर्ज राशि(₹)
1	16	21.08.14	92290	92400	110
2	22	21.08.20	51965	52000	35
		योग	**144255**	**144400**	**145**

(xvi) वास्तविक व्यय की जगह बैंक द्वारा अधिक राशि डेबिट करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज व्यय की आर० टी० जी० एस० को बैंक द्वारा निरस्त करके पहले कम राशि क्रेडिट करके पुनः अधिक राशि डेबिट की गई थी। लेकिन उक्त अधिक राशि को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में इन्द्राज नहीं किया गया था। अतः रोकड़ बही में उक्त त्रुटि की शुद्धि प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्रम संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	वाउचर संख्या	व्यय राशि (₹)	आर० टी० जी० एस० निरस्त करके क्रेडिट राशि/ दिनांक	बैंक द्वारा डेबिट की गई राशि/ दिनांक (₹)	अधिक डेबिट की गई राशि (₹)
1	163	4208	32000	31995/	32000/	5

				7.12.18	14.12.18	
2	98	6123 से 6126	11970	11976/ 1.06.23	11976/ 7.06.23	6

(xvii) वास्तविक व्यय की जगह कम व्यय दर्ज करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या -95 वाउचर संख्या -6101 माह 5/23 चैक संख्या -036132 दिनांक 12.04.23 के अंतर्गत सरकारी शुल्क के रूप में भेजी गई वास्तविक राशि ₹1454626 को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में ₹1454624 दर्ज करके ₹2 कम व्यय दर्ज किया गया था। अतः वास्तविक व्यय की जगह कम व्यय दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त त्रुटि की सुधार प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(xviii) व्यय दर्ज न करना व अधिक आय दर्ज करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 91 पर व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 6064 दिनांक 14.04.23 के अंतर्गत श्री अजय कुमार को दिनांक 18.04.23 को एन० ई० एफ० टी० द्वारा ₹9800 व पुनः दिनांक 21.04.23 को चैक संख्या 36133 के अंतर्गत ₹9800 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया था। अधिक भुगतान ₹9800 की वसूली रसीद संख्या 3231 दिनांक 27.04.23 के अंतर्गत करके पृष्ठ संख्या -91 पर रोकड़ खाते व पुनः आय पक्ष में पृष्ठ संख्या -95 पर बैंक कॉलम में ₹9800 अधिक आय दर्ज की गई थी। अतः रोकड़ बही में व्यय दर्ज न करना व अधिक आय दर्ज करने के फलस्वरूप ₹19600 (9800+9800) अन्तर था। अतः उक्त त्रुटि की सुधार प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) रोकड़ बही को दैनिक आधार पर तैयार न करके मासिक व त्रैमासिक आधार पर तैयार करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 1.04.17 से 31.03.24 तक के दौरान रोकड़ बही को दैनिक आधार पर तैयार न करके माहवार व अवधि 1.10.21 से 31.12.21, 1.01.22 से 31.03.22 व 1.04.22 से 30.06.22 तक त्रैमासिक आधार पर तैयार किया गया था। जबकि नियमानुसार रोकड़ बही को दैनिक आधार पर तैयार किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त वाउचरों के साथ दिनांक भी उल्लेखित नहीं की गई थी। अतः रोकड़ बही को दैनिक आधार पर तैयार न करके मासिक व त्रैमासिक आधार पर तैयार करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से रोकड़ बही को दैनिक आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

5 (i) सावधिक निवेश:-

क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौग डैम द्वारा यथा – **परिशिष्ट – ख** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना व प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर दिनांक 3103.24 तक सावधिक जमा योजना के अंतर्गत निवेशित राशियों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**एफ० डी० संख्या/ बैंक (के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस)**	**निवेश की तिथि**	**निवेशित राशि (₹)**	**परिपक्वता तिथि**	**परिपक्वता राशि (₹)**	**ब्याज दर**	**अवधि**
1	50073397146 (1291870)	30.07.23	1319462	30.07.24	1411499	6.80%	1 वर्ष
2	50076568439 (1292769)	29.11.23	1000000	29.11.24	1069754	6.80	1 वर्ष
3	50076568440 (1292770)	29.11.23	1000000	29.11.24	1069754	6.80	1 वर्ष
		योग	**3319462**				

अतः सावधिक निवेश के अंतर्गत निवेशित राशियों को परिपक्वता तिथि पर भुनाया पाया अथवा पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) सावधिक निवेश के अंतर्गत निवेशित राशियों को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज करके अंतिम शेष से कम करना ₹3200000 :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम में डाइट निधि से निम्नविवरणानुसार सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों ₹3200000 को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज करके अंतिम शेष से कम कर दिया गया था। जोकि एक अति गम्भीर वित्तीय अनियमितता है | उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 358 दिनांक 31.07.24 के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के पत्र संख्या –वाईएसएस एमआई आरडब्ल्यूएससी ऑडिट – डाईट/ सी -66 /2012-1357 दिनांक 1.08.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि सावधिक निवेश के अंतर्गत निवेशित राशि को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज कर लिया जायेगा। अतः प्रतियुत्तर अनुसार सावधि निवेश के अंतर्गत निवेशित राशियों को रोकड़ बही के आय पक्ष में सावधिक निवेश शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	एफ० डी० संख्या/ बैंक (के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस)	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹)	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि (₹)	ब्याज दर	अवधि
1	50073397146	30.07.21	1200000	30.07.22	1263627	5.20%	1 वर्ष
		30.07.22	1259346	30.07.23	1326120	5.20%	1 वर्ष

		30.07.23	1319462	30.07.24	1411499	6.80%	1 वर्ष
2	50076568439	29.11.23	1000000	29.11.24	1069754	6.80	1 वर्ष
3	50076568440	29.11.23	1000000	29.11.24	1069754	6.80	1 वर्ष
		योग	**3200000**				

(iii) सावधिक निवेश की परिपक्वता पर कम ब्याज प्रदान करना ₹479192:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौग डैम में सावधिक जमा योजना के अंतर्गत निवेशित राशियों पर बैंक द्वारा परिपक्वता तिथि पर देय ब्याज की अपेक्षा कम ब्याज दिया गया था। जिसके कारण क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम को सावधिक ब्याज के रूप में निम्नानुसार ₹479192 की ब्याज के रूप में कम आय प्राप्त हुई थी ।

क्र. सं.	**सावधिक निवेश संख्या / बैंक का नाम**	**निवेश की तिथि**	**निवेशित राशि (₹)**	**परिपक्वता तिथि**	**परिपक्वता योग्य राशि (₹)**	**वास्तविक रूप में प्राप्त राशि (₹)**	**ब्याज के रूप में कम प्राप्त राशि (₹)**
1	48274 के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरस	27.12.13	350000	27.12.14	382579	375986	6593
2	47869 के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरस	22.04.13	400000	22.04.15	473278	458042	15236
		22.04.15	458042	22.04.17	541953	525006	16947
		22.04.17	525006	22.04.19	596680	582484	14196
3	47870 के० सी० सी०	22.04.13	400000	22.04.15	473278	458042	15236
		22.04.15	458042	22.04.17	541953	525006	16947

	बी० संसारपुर टैरस	22.04.17	525006	22.04.19	596680	582484	14196
4	48390 के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरस	25.02.14	1000000	25.02.15	1093083	1074344	18739
5	48391 के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरस	25.02.14	1000000	25.02.15	1093083	1074344	18739
6	48392 के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरस	25.02.14	1000000	25.02.15	1093083	1074344	18739
7	48393 के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरस	25.02.14	130000	25.02.15	142101	139663	2438
8	48273 के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरस	27.12.13	350000	27.12.14	382579	375986	6593
9	11518156063 स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया संसारपुर टैरस	13.04.13	257152	13.04.14	280402	278078	2324
		13.04.14	278078	13.04.15	303962	298803	5159
		13.04.15	298803	13.04.16	324227	319135	5092
		13.04.16	319135	13.04.17	342909	338143	4766
		13.04.17	338143	13.04.18	362086	357298	4788

		13.04.18	357298	13.04.19	382033	376031	6002
10	11518156029 स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया संसारपुर टैरस	13.04.13	254785	13.04.14	277821	273213	4608
		13.04.14	273213	13.04.15	298645	293557	5088
		13.04.15	293557	13.04.16	318535	313709	4826
		13.04.16	313709	13.04.17	337079	332395	4684
		13.04.17	332395	13.04.18	355931	351224	4707
		13.04.18	351224	13.04.19	375538	369639	5899
11	50060807125 के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरस	9.03.15	1398018	9.03.16	1528150	1502015	26135
12	50060807067 के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरस	9.03.15	1398018	9.03.16	1528150	1502015	26135
13	50060807147 के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरस	9.03.15	1398018	9.03.16	1528150	1501974	26176
		9.03.16	1501974	9.03.17	1617830	1594956	22874
		9.03.17	1594956	9.03.18	1701183	1680419	20764
		9.03.18	1680419	9.03.19	1796751	1770891	25860
14	50061838891 के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरस	13.08.15	1000000	13.08.16	1085088	1066914	18174
		13.08.16	1066914	13.08.17	1149211	1136196	13015
		13.08.17	1136196	13.08.18	1211868	1202064	9804
		13.08.18	1202064	13.08.19	1285280	1274785	10495
15	50066962211 के० सी० सी० बी० संसारपुर	26.10.17	1500000	26.10.18	1599902	1571010	28892
		26.10.18	1571010	26.10.19	1679768	1666149	13619

	टैरस						
16	50073397146 के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरस	30.07.21	1200000	30.07.22	1263627	1259346	4281
		30.07.22	1259346	30.07.23	1326120	1319462	6658
17	11518156018 स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया संसारपुर टैरस	30.03.14	538387	30.03.15	588502	585137	3365
18	11518156041 स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया संसारपुर टैरस	23.03.14	177989	23.03.15	194557	194154	403
				योग	**32453635**	**31974443**	**479192**

उक्त कम ब्याज का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 346 दिनांक 26.07.24 के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के ध्यानार्थ लाया गया। जिसकी अनुपालना में वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के पत्र संख्या –वाईएसएस एमआई आरडब्ल्यूएससी ऑडिट –डाईट/ सी -66 /2012-1353 दिनांक 1.08.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि सम्बन्धित बैंक से पत्राचार करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः प्रतियुत्तर अनुसार उक्त ब्याज स्वरुप कम प्राप्त हुई आय ₹479192 की वसूली हेतु प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठा कर राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 न्यूनतम दर भरने वाली फर्म से स्काउट बाइक (स्काउट एस्पेक्ट 750) का क्रय न करके द्वितीय न्यूनतम दर भरने वाली फर्म से करने के कारण किया गया अपव्यय/ वित्तीय हानि ₹325760 :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 3901 माह 3/18 के दौरान बिल संख्या 173 व 174 दिनांक 19.02.18 के अंतर्गत 20 स्काउट बाइक (स्काउट एस्पेक्ट 750) व हेलमेट का क्रय करने के रूप में ₹758000 का भुगतान हिमालयन बाइक बार माल रोड़ मनाली (हि० प्र०) को किया गया था। निविदाओं के अवलोकन पर पाया गया कि न्यूनतम दर भरने वाली फर्म से क्रय न करके द्वित्तीय न्यूनतम दर भरने वाली फर्म से क्रय किया गया था, जिसके कारण निम्नलिखित विवरणानुसार ₹325760 का अपव्यय/ वित्तीय हानि हुई थी।

क्र० सं०	बिल संख्या/ दिनांक	फर्म का नाम एवं पत्ता जिससे सामान क्रय किया गया	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	जिस दर पर भुगतान किया गया (₹)	न्यूनतम दर भरने वाली फर्म	प्रथम न्यूनतम दर	अन्तर (₹)	अपव्यय/ वित्तीय हानि (₹)
1	173/ 19.02.18	हिमालयन बाइक बार माल रोड मनाली (हि० प्र०)	स्काउट एस्पेक्ट 750 (बड़ा व माध्यम आकार)	20	36000 (32143+12% GST 3857)	एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड लक्ष्मण झूला ऋषिकेश (यू०पी०)	19712 (17600 +12%GST 2112)	16288	325760

उपरोक्त उल्लेखित फर्म एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड लक्ष्मण झूला ऋषिकेश (यू०पी०) द्वारा प्रदान की गई निविदा को इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था कि उक्त फर्म द्वारा उक्त मॉडल की विशेषताएं उल्लेखित नहीं की थी। जबकि उक्त

फर्म से उक्त मॉडल के सन्दर्भ में वांछित सूचना प्राप्त करके क्रय किया जाना अपेक्षित था। अतः प्रथम न्यूनतम दर भरने वाली फर्म से क्रय न करके द्वित्तीय न्यूनतम दर भरने वाली फर्म से करने के कारण ₹325760 का अपव्यय/ वित्तीय हानि का उतरदायित्व निर्धारण करने उपरांत सम्पूर्ण अपव्यय /वित्तीय हानि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) बिल संख्या 174 दिनांक 19.02.18 के अंतर्गत 20 हेलमेट ₹1900 प्रति हेलमेट की दर से क्रय करने के रूप में ₹38000 का भुगतान हिमालयन बाइक बार माल रोड़ मनाली (हि० प्र०) को किया गया था। लेकिन निविदाओं के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा हेलमेट की दर ₹1500 सभी करों सहित भरी गई थी। फलस्वरूप उक्त फर्म को ₹400 (1900-1500) प्रति हेलमेट की दर से 20 हेलमेट हेतु ₹8000 अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था। जिसकी वसूली सम्बन्धित फर्म अथवा अधिक एवं गलत भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 101 के अनुसार एक लाख रूपए से अधिक की राशि के सामान का क्रय टेंडर आमंत्रित करके किया जाना अनिवार्य था, क्योंकि क्रय समिति द्वारा एक लाख रूपए तक का सामान ही निविदाओं द्वारा क्रय किया जा सकता है। जबकि उक्त सामान का क्रय निविदाओं के आधार पर किया गया था। अतः एक लाख रूपए से अधिक राशि के सामान का क्रय टेंडर आमंत्रित न करके निविदाएं के आधार पर करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 335 दिनांक 18.07.24 के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के ध्यानार्थ लाया गया। जिसकी अनुपालना में

वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के पत्र संख्या –वाईएसएस एमआई आरडब्ल्यूएससी ऑडिट –डाईट/ सी -66 / 2012-1359 दिनांक 1.08.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि

(i) कम निविदा भरने वाली फर्म एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड लक्ष्मण झूला ऋषिकेश (यू०पी०) द्वारा साईकल की खूबियाँ/फीचर एवं अन्य विशेषताएं उल्लेखित नहीं की गई थी। जिसके फलस्वरूप उक्त फर्म की निविदा को अस्वीकार कर दिया था। उत्तर संतोषजनक नहीं है। क्योंकि यदि उक्त फर्म द्वारा साईकल की विशेषताएं उल्लेखित नहीं की गई थी, तब उस अवस्था में उक्त फर्म से पत्राचार/ई-मेल द्वारा वांछित सूचना प्राप्त की जा सकती थी। न्यूनतम दर भरने वाली फर्म से बिना पत्राचार किए निविदा को निरस्त करके द्वित्तीय न्यूनतम दर भरने वाली फर्म से उच्च दरों पर क्रय करने के कारण हुई वित्तीय हानि / अपव्यय ₹325760 का उत्तरदायित्व निर्धारित करने उपरांत सम्पूर्ण अपव्यय/वित्तीय हानि हेतु सम्बन्धित नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके की जानी व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) हेलमेट क्रय करने से सम्बन्धित मामला छानबीन करके आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः निविदा में भरी गई दर से अधिक दर पर भुगतान करने के कारण किए गए अधिक भुगतान ₹400 (1900-1500) प्रति हेलमेट की दर से 20 हेलमेट हेतु ₹8000 की वसूली सम्बन्धित फर्म अथवा भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) माउंटेन वाईक को क्रय करने हेतु मुख्यालय निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली द्वारा टेंडर आमंत्रित किया गया था, जिस टेंडर में कम फर्में आने के कारण टेंडर को पूर्ण नहीं किया जा सका था व समय के अभाव में निदेशक महोदय से उक्त वाईक निविदाओं के आधार पर क्रय करने की स्वीकृति प्राप्त की गई

थी। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि न तो टेंडर आमंत्रित करने व न ही निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली से उक्त वाईकों को निविदाओं के आधार पर क्रय करने की स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण किए बगैर कैमरों का क्रय करना ₹99000 :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 4386 माह 7/19 के दौरान निम्नलिखित विवरणानुसार कैमरों का क्रय किया गया था।

क्रम संख्या	**बिल संख्या/ दिनांक**	**फर्म का नाम एवं**	**क्रय सामान का विवरण**	**मात्रा**	**दर (₹)**	**मूल्य (₹)**
1	136/ 4.07.19	जी० टी० कंप्यूटर्स कॉलेज रोड धर्मशाला	डी० वी० आर०16 चनैल बॉक्स	1	8200	8200
			कैमरा बुलेट छोटा बॉक्स	5	1900	9500
			कैमरा बुलेट बड़ा बॉक्स	2	3700	7400
			कैमरा ड्रूम बुलेट बॉक्स	1	1700	1700
			एच० डी० डी० आई० टी० वी० सर्विलेंस	1	3500	3500
			पॉवर सप्लाई 12 वोल्ट	1	1250	1250
			एल० ई० डी० मोनीटर 16″	1	4200	4200
			सी० सी० टी० वी०	9	1300	11700

			कैमरा तार			
			वी० एन० सी० कनेक्टर	16	50	800
			डी० सी० जंक	8	20	160
			वीडियो बलून	2	100	200
					योग	**48610**
2	137/ 4.07.19	जी० टी० कंप्यूटर्स कॉलेज रोड धर्मशाला	कैमरा पी टी 2 हिकविज़न 16 एक्स	1	35500	35500
			सी० सी० टी० वी० कैट डी लिंक	150 मीटर	23	3450
			पाइप व बैंड इत्यादि	-	-	11000
					योग	**49950**
3	138/ 4.07.19	जी० टी० कंप्यूटर्स कॉलेज रोड धर्मशाला	सी० सी० टी० वी० तार (आर 6) (2+1)	2	1800	3600
			पॉवर बोर्ड	2	-	600
			कैलिफिंग व इंस्टालेशन ऑफ़ कैमरा	-	-	12000
					योग	**16200**
क्रम संख्या (1) से (3) तक का कुल योग (48610+49950+16200)=						**114760**
भुगतान						**99000**

उपरोक्त उल्लेखित बिल/वाउचर के संदर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं। जिनका निराकरण किया जाए।

(i) उपरोक्त उल्लेखित क्रय समिति द्वारा निविदाओं के आधार पर किया गया दर्शाया था। अभिलेख में तीन निविदाएँ सलंग्न की गई थी। जिसमें स्वामी टेक्नोलॉजी टंग नरवाना, परीक्षित ट्रेडर्स घुग्गर, पालमपुर व जी० टी० कंप्यूटर्स कॉलेज रोड धर्मशाला की थी। उक्त निविदाएँ लगभग 90 किलो मीटर से अधिक की दूरी से प्राप्त की गई थी व स्थानीय बाजारों से कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी। अतः क्रय समिति द्वारा स्थानीय बाजारों से निविदा आमंत्रित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित क्रय निविदाओं के आधार पर किया गया दर्शाया था। लेकिन निविदा कब आमंत्रित की गई, उसका निविदा आमंत्रण पत्र, निविदा कब प्राप्त की गई, उसका डायरी नंबर व किस फर्म को आपूर्ति आदेश भेजा गया, से सम्बन्धित अभिलेख मौजूद नहीं था। उक्त अभिलेख के अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण किए बगैर महज दिखावे हेतु ही तीन निविदाएँ सलंग्न की गई थी व उक्त सामान का क्रय चहेती फर्म से उच्च दरों पर किया गया था। अतः उक्त क्रय से पूर्व निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iii) उपरोक्त उल्लेखित कैमरों की स्टॉक रजिस्टर संख्या -50 ए पृष्ठ संख्या -188 पर स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज की गई थी। लेकिन उक्त कैमरों को कहाँ पर स्थित किया गया था, से सम्बन्धित विवरण दर्ज नहीं किया गया था। अतः स्टॉक रजिस्टर में कैमरों को स्थापित करने का विवरण दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त उल्लेखित अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 342 दिनांक 24.07.24 के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के ध्यानार्थ लाया गया। जिसकी अनुपालना में वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के पत्र संख्या –वाईएसएस एमआई आरडब्ल्यूएससी ऑडिट –डाईट/ सी -66 /2012-1349 दिनांक 1.08.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि क्रय सिमित द्वारा लोकल मार्किट का दौरा

किया गया था जिसमें पाया गया कि स्थानीय बाजार में कोई भी कैमरे लगाने वाला नहीं था। उत्तर संतोषजनक नहीं है। क्योंकि क्रय सिमिति द्वारा स्थानीय बाजार का दौरा करने व स्थानीय बाजार में कोई भी कैमरे लगाने वाला उपलब्ध न होने से सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य अभिलेख में मौजूद नहीं था। अतः उपरोक्त उल्लेखित अनियमितताओं के निपटारे हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 स्वीकृत राशि से अधिक एवं अनियमित व्यय ₹28732 :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माह 4/17 के दौरान ब्यास नदी पर प्रथम राफ्टिंग अभियान जो कि दिनांक 20.04.17 से 24.03.17 के दौरान आयोजित किया गया, के दौरान वाउचर संख्या 3432 से 3463 के अंतर्गत अवधि 18.03.17 से 26.03.17 के दौरान विभिन्न फर्मों से सामान क्रय के रूप में ₹98732 का भुगतान किया गया था। जबकि निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संम्बद्ध खेल संस्थान मनाली हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या YSS (MI) H/G-184-1/2010-16/6144 दिनांक 19.10.2016 के अंतर्गत ब्यास नदी पर प्रथम राफ्टिंग अभियान हेतु ₹70000 की राशि स्वीकृत की गई थी। फलस्वरूप स्वीकृत राशि से ₹28732 (98732-70000) का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 336 दिनांक 18.07.24 के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के पत्र संख्या –वाईएसएस एमआई आरडब्ल्यूएससी ऑडिट –डाईट/ सी -66 /2012-1344 दिनांक 1.08.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि ₹28732 की कार्योत्तर स्वीकृति निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संम्बद्ध खेल संस्थान मनाली से दूरभाष पर प्राप्त कर ली गई थी। प्रतियुत्तर संतोषजनक नहीं था, क्योंकि कार्योत्तर स्वीकृति दूरभाष पर प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः

अधिक एवं अनियमित भुगतान की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 शौचालयों के शेष निर्माण कार्य, बिजली सामान, वायरिंग व सैनीटेशन के सामान से सम्बन्धित अनियमितताएं :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माह 2/15 के दौरान विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत विभिन्न फर्मों को रीवर राफ्टिंग केंद्र पिरडी, जिला कुल्लू में निर्माण कार्य, शौचालयों का शेष निर्माण कार्य, बिजली सामान, वायरिंग व सैनीटेशन के सामान क्रय करने व स्थापित करने के रूप में ₹122780 का भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	फर्म का नाम एवं पत्ता	सामान का विवरण	राशि (₹)
1	2349/ 21.02.15	14395 से 14397 दिनांक 3.10.14	मै० के० वी० इंटरप्राइजेज, अखाड़ा बाजार कुल्लू	सैनीटेशन का सामान	46084
2	2350/ 21.02.15	1948/ 26.11.14	मै० भगवती इलेक्ट्रिकल्स अखाड़ा बाजार कुल्लू	2 नंबर गीजर , बोल्ट, पिन टॉप	8240
3	2351/ 23.02.15	शून्य/ 11.12.14	शोबला प्लाई बोर्ड शमशी, कुल्लू	प्लाई बोर्ड	2460
4	2352/ 23.02.15	शून्य/ 2.10.14	वीर सिंह सुपुत्र श्री न्याल चंद कुल्लू	रेत	875

5	2353/ 23.02.15	17/ 28.09.14	कार्तिक वेल्डिंग वर्क्स, भुंतर, जिला कुल्लू	एंगल व जाली	2000
6	2354/ 23.02.15	10/ 25.09.14	कार्तिक वेल्डिंग वर्क्स, भुंतर, जिला कुल्लू	लोहे का दरबाजा, अरला व मजदूरी	7800
7	2355/ 23.02.15	21/ 25.09.14	कार्तिक वेल्डिंग वर्क्स, भुंतर, जिला कुल्लू	लोहे के वेंटीलेटर व दरबाजा चौकाट	3400
8	2356/ 23.02.15	81/ 2.10.14	कर्म सिंह ठाकुर, गांव बड़ाह,डा० मोहल, जिला कुल्लू	ईंटें व सीमेंट	3266
9	2357/ 23.02.15	शून्य/ 23.02.15	शोबला प्लाई बोर्ड शमशी, कुल्लू	हुक	120
10	2358/ 23.02.15	5695/ 27.11.14	मै० वी० के० इंटरप्राइजेज, टिक्कर, बाबड़ी, कुल्लू	सैनिटेशन का सामान	4015
11	2359/ 23.02.15	148/ 15.11.14	मै० नीशू जनरल स्टोर, बजौरा, जिला ऊना	ईंटें व सीमेंट	7330
12	2360/ 23.02.15	418/ 15.11.14	मै० नीशू जनरल स्टोर, बजौरा, जिला ऊना	सीमेंट	1000

13	2361/ 23.02.15	1.11.14 से 12.11.14	मस्टररोल (बिजली कार्य)	-	3120
14	2362/ 23.02.15	12.10.14 से 31.10.14	मस्टररोल (निर्माण कार्य) मिस्त्री व मजदूर	-	17200
15	2363/ 23.02.15	1.10.14 से 31.10.14	मस्टररोल (सैनिटेशन कार्य) प्लम्बर व मजदूर	-	15870
				योग	**122780**

उपरोक्त उल्लेखित बिल/वाउचरों के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं। जिनका निराकरण किया जाए।

(i) उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर उल्लेखित सामान स्थानीय क्रय समिति द्वारा निविदाओं के आधार पर क्रय किया गया दर्शाया गया था व तीन फर्मों से निविदाएं प्राप्त की गई थी। निविदाओं के अवलोकन पर पाया गया कि नरेंदर सूद एंड सन्ज अखाड़ा बाजार कुल्लू द्वारा अपनी निविदा 4.10.14 को सामान क्रय करने के एक दिन बाद प्रदान की गई थी। जबकि सामान मै० के० वी० इंटरप्राइजेज, अखाड़ा बाजार कुल्लू से दिनांक 3.10.14 को क्रय किया गया था। अतः उक्त सामान को क्रय करने के बाद निविदा प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) उपरोक्त क्रम संख्या 4, 8,11 व 12 पर उल्लेखित रेत, ईट व सीमेंट के रूप में ₹12471 का भुगतान किया गया था। लेकिन उक्त क्रय निर्माण सामग्री की खपत विवरणी से सम्बन्धित अभिलेख व माप पुस्तिका अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उक्त क्रय की गई निर्माण सामग्री की खपत विवरणी व माप पुस्तिका अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(iii) उपरोक्त क्रम संख्या 3 पर उल्लेखित सामान के क्रय हेतु सम्बन्धित फर्म से उचित बिल प्राप्त न करके लैटर पैड के आधार पर किया गया था। अतः उक्त फर्म से उचित बिल प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित फर्म से उचित बिल प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 12 पर उल्लेखित क्रय सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जारी करने /खपत से सम्बन्धित अभिलेख मौजूद नहीं था। स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जारी करने / खपत से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त क्रय किए गये सामान के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त क्रय किए गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व जारी करने / खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 337 दिनांक 18.07.24 के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के ध्यानार्थ लाया गया। जिसकी अनुपालना में वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के पत्र संख्या –वाईएसएस एमआई आरडब्ल्यूएससी ऑडिट –डाईट/ सी -66 / 2012-1345 दिनांक 1.08.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि

(i) उपरोक्त क्रम संख्या (i) पर उल्लेखित सामान व निविदाएँ क्रय समिति द्वारा एकत्रित की गई थी। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि दुकानदार द्वारा गलती से निविदा पर गलत दिनांक अंकित की गई थी।

(ii) केंद्र की कमेटी द्वारा दैनिक दर पर उक्त कार्य करवाया गया, इसी कारण आकलन तैयार नहीं किया गया।

(iv) सामग्री सम्बन्धित खपत विवरणिका पिरड़ी से मंगवाकर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(v) तत्काल समय में सम्बन्धित विक्रेता के पास केवल वही बिल मौजूद थे जिसे कमेटी द्वारा परिस्थितियों के आधार पर स्वीकार किया गया।

प्रतिउत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः उपरोक्त उल्लेखित अनियमिताओं के निपटारे हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 वास्तविक गैस सिलैंडरों की जगह अधिक मात्रा में गैस सिलैंडर भरवाकर राशि ₹121620 का दुरूपयोग/गबन :-

क्षेत्रीय जल क्रीडा केंद्र पौंग डैम के स्थाई स्टॉक रजिस्टर-51 के अवलोकन पर पाया गया कि पृष्ठ संख्या-85 पर दिनांक 7.02.13 से 27.01.21 तक कुल 10 गैस सिलैंडर व दिनांक 28.01.21 को दो नये सिलैंडर क्रय करने पर कुल 12 गैस सिलैंडर मौजूद थे। लेकिन राशन स्टॉक रजिस्टर 63(xiii) के अवलोकन पर पाया गया कि पृष्ठ संख्या 104 व 105 पर वास्तविक गैस सिलैंडरों की मात्रा की जगह अधिक गैस सिलैंडर भरवाए गये थे। यह कैसे संभव है कि जब संस्था के पास केवल 10 व 12 गैस सिलैंडरों मौजूद थे, तो संस्था द्वारा उससे अधिक मात्रा में गैस सिलैंडर कैसे भरवाए गये एवं वास्तविक गैस सिलैंडरों की मात्रा की जगह अधिक मात्रा में गैस सिलैंडर भरवाया गया दर्शाना राशि के दुरूपयोग किए जाने की वास्तविकता को उजागर करता है। जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से हैं :-

क्रम संख्या	दिनांक	राशन स्टॉक रजिस्टर - 63(xiii) पृष्ठ संख्या	आरंभिक गैस सिलैंडर शेष मात्रा	जितने गैस सिलैंडर भरवाए गये	कुल योग	वास्तविक मात्रा	अधिक मात्रा	दर प्रति गैस सिलैंडर (₹)	दुरूपयोग की गई राशि (₹)
1	22.12.18	104	4.5	7	11.5	10	1.5	1495	2242.5
2	19.01.19	104	7	6	13.5	10	3.5	1301	4553.5
3	8.02.19	104	5	9	14	10	4	1257	5028
4	19.06.19	104	7	8	15	10	5	1420	7100

5	20.07.19	104	5	7	12	10	2	1240	2480
6	5.08.19	104	9	6	15	10	5	1110	5550
7	28.09.19	104	2	9	11	10	1	1190	1190
8	6.12.19	104	5	6	11	10	1	1317	1317
9	3.01.20	104	11	3	14	10	4	1350	5400
10	26.02.20	104	14	7	21	10	11	1572	17292
11	23.02.21	104	6	8	14	12	2	1623	3246
12	25.03.21	104	6	10	16	12	4	1720	6880
13	12.11.21	104	5	8	13	12	1	2107	2107
14	3.03.22	104	5	10	15	12	3	2120	6360
15	30.04.22	104	10	9	19	12	7	2367	16569
16	25.06.22	105	6.5	9	15.5	12	3.5	2340	8190
17	22.09.22	105	8	10	18	12	6	2015	12090
18	1.11.22	105	7.5	10	17.5	12	5.5	1870	10285
19	17.12.22	105	3	11	14	12	2	1870	3740
								योग	**121620**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 340 दिनांक 24.07.24 के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के ध्यानार्थ लाया गया। जिसकी अनुपालना में वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के पत्र संख्या –वाईएसएस एमआई आरडब्ल्यूएससी ऑडिट –डाईट/ सी -66 / 2012-1347 दिनांक 1.08.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि गैस एजेंसी मेनेजर से मीटिंग करके यह तय किया गया था कि आवश्यकतानुसार वे कुछ भरे हुए सिलैंडर प्रदान कर दिया करें व जब भी वह सिलैंडर भरने / इस केंद्र से गाड़ी फतेहपुर की तरफ जाएगी तो वह अधिक प्रदान किए गये खाली सिलैंडरों को वापिस कर दिया जायेगा। प्रतियुत्तर संतोषजनक नहीं है व पूर्णतया आधारहीन एवं तथ्यों के विपरीत है। अतः वास्तविक गैस सिलैंडरों की मात्रा की जगह अधिक मात्रा में गैस सिलैंडर भरवाकर दुरूपयोग किए गये गैस सिलैंडरों के वास्तविक मूल्य की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से

इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि 1.04.2014 से 31.03.24 तक के दौरान संस्था स्तर पर पूर्ण जांच/छानबीन/गणना करने उपरान्त वास्तविक गैस सिलैंडरों की जगह अधिक मात्रा में गैस सिलैंडर भरवाकर दुरूपयोग किए गये गैस सिलैंडरों के वास्तविक मूल्य की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 मस्ट्रोल के अंतर्गत मजदूरी के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान ₹11126 :-

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि क्षेत्रीय जल क्रीड़ा संस्थान पौंग डैम में बिजली, पानी व अन्य निर्माण कार्यों की मुरम्मत हेतु विभिन्न व्यक्तियों से दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करवाया गया था। लेकिन प्लम्बर, विद्युतकार, मिस्त्री को सरकार द्वारा निर्धारित दरों की अपेक्षा अधिक दरों पर भुगतान करने के कारण ₹10255 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक/माह	नाम व पदनाम	अवधि	दिनों की संख्या	देय दर	दी गई दर	अंतर	अधिक एवं गलत भुगतान (₹)
1	2338/ 13.02.15	श्री अमन सिंह, प्लम्बर	6.01.15 से 10.01.15	5	212	260	48	240
		श्री अशोक कुमार, विद्युतकार	6.01.15 से 10.01.15	5	212	260	48	240
2	2361/ 23.02.15	श्री चमन, विद्युतकार	1.11.14 से 12.11.14	12	212	260	48	576
3	2362/	श्री राकेश	12.10.14 से	20	212	260	48	960

	23.02.15	कुमार, मिस्त्री	31.10.14					
		श्री अनिल कुमार, मिस्त्री	12.10.14 से 31.10.14	20	212	260	48	960
4	2364/ 28.02.15	श्री सुरिंदर कुमार, कारपेंटर	3.01.15 से 14.01.15	12	212	260	48	576
			7.02.15 से 18.02.15	12	212	260	48	576
5	4293/ 31.03.19	श्री दीपक गुप्ता, विद्युतकार	8.03.19 से 15.03.19	8	267	346	79	632
		श्री वरुण गुप्ता, विद्युतकार	8.03.19 से 15.03.19	8	267	346	79	632
6	4389/ 7/19	श्री दीपक गुप्ता, विद्युतकार	1.07.19 से 8.07.19	8	292	371	79	632
		श्री बल्लू, विद्युतकार	1.07.19 से 8.07.19	8	292	371	79	632
7	4753/ 2/20	श्री मुकेश कुमार, विद्युतकार	1.02.20 से 7.02.20	7	292	371	79	553
		श्री बलविंदर, विद्युतकार	1.02.20 से 7.02.20	7	292	371	79	553
8	4837/ 3/20	श्री सुरजीत, मिस्त्री	1.03.20 से 27.03.20	27	305	371	66	1782
9	4839/ 3/20	श्री वरुण, विद्युतकार	1.03.20 से 9.03.20	9	292	371	79	711
							योग	**10255**

अतः सरकार द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में अधिक दरों पर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सरकार द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में अधिक दरों पर भुगतान करने के कारण अधिक एवं गलत भुगतान ₹10255 की वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों

अथवा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मस्ट्रोल के अंतर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार रेस्ट हाउस व हॉस्टल में सफेदी व बिजली की मुरम्मत करवाने के रूप में वास्तविक कार्य दिवसों की जगह अधिक कार्य दिवसों का भुगतान करने के कारण अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक	नाम व पदनाम	अवधि	वास्तविक दिनों की संख्या	दर्ज किए गये दिनों की संख्या	अंतर	दर (₹)	अधिक एवं गलत भुगतान (₹)
1	4830/ 3/20	श्री सुरिंदर कुमार, पेंटर	2.02.20 से 24.02.20	23	24	1	250	250
		श्री दमन कुमार, पेंटर	2.02.20 से 24.02.20	23	24	1	250	250
2	4839/ 3/20	श्री वरुण, विद्युतकार	1.03.20 से 9.03.20	9	10	1	371	371
							योग	**871**

अतः वास्तविक कार्य दिवसों की जगह अधिक कार्य दिवसों का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वास्तविक कार्य दिवसों की जगह अधिक कार्य दिवसों का भुगतान करने के कारण अधिक एवं गलत भुगतान ₹871 की वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उक्त उल्लेखित अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 344 दिनांक 25.07.24 के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के ध्यानार्थ लाया गया जिसकी अनुपालना में वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के पत्र संख्या –वाईएसएस एमआई आरडब्ल्यूएससी ऑडिट –डाईट/ सी -66 /2012-1351 दिनांक 1.08.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि विद्युतकार, मिस्त्री, प्लम्बर व कारपेंटर को ग्रेड-1 के अनुसार से अदायगी की गई थी। जोकि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है व क्रम संख्या (ii) पर उल्लेखित ₹871 के अधिक भुगतान की छानबीन करने उपरांत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। क्योंकि विद्युतकार, मिस्त्री, प्लम्बर व कारपेंटर को ग्रेड-1 के अनुसार से मजदूरी उसी स्थिति में देय है जब उनके पास उस कार्य का डिप्लोमा/डिग्री हो। लेकिन उक्त प्रकरणों में किसी भी विद्युतकार, मिस्त्री, प्लम्बर व कारपेंटर की दक्षता का प्रमाण पत्र अभिलेख में मौजूद नहीं था। विद्युतकार, मिस्त्री, प्लम्बर व कारपेंटर के दक्षता के प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा/डिग्री के अभाव में उन्हें ग्रेड-II की दरें ही देय थी। अतः देय योग्य दरों की अपेक्षा अधिक दरों पर भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) क्रम संख्या (ii) पर उल्लेखित ₹871 के अधिक भुगतान की छानबीन करने उपरांत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः संस्था स्तर पर छानबीन करने उपरांत अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित पेंटर व विद्युतकारों अथवा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 संदिग्ध भुगतान ₹10000 :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 3441 माह 4/17 के दौरान रसीद संख्या 342 दिनांक 26.03.17 वाइल्ड नौर्थ एडवेंचर गांव पिरड़ी, जिला कुल्लू (हि०प्र०) से 2 नंबर गाइड दिनांक 21.03.17 से 25.03.17 तक किराये पर लेने कारण 5 दिनों हेतु ₹1000 प्रति दिन की दर से ₹10000 (2X1000x5) भुगतान किया गया था लेकिन रसीद पर गाइड के नाम व पत्ते उल्लेखित नहीं थे व वाउचर संख्या 3437 दिनांक 26.03.17 के अंतर्गत वेट रीवर एडवेंचर गांव व डा० दोभी जिला कुल्लू से 2 नंबर रेस्क्यू गाइड श्री नवीन कुमार व श्री गोपाल दास को दिनांक 21.03.17 से 25.03.17 तक किराये पर लेने कारण दिनों 5 दिनों हेतु ₹1000 प्रति दिन की दर से ₹10000 (2X1000x5) भुगतान किया गया था। उक्त कार्य हेतु गठित समिति द्वारा केवल 2 नंबर रेस्क्यू गाइड, जोकि वेट रीवर एडवेंचर गांव व डा० दोभी जिला कुल्लू से किराये लेने हेतु निविदा प्राप्त की गई थी व अन्य 2 नंबर गाइड को किराये पर लेने हेतु कोई भी निविदा प्राप्त नहीं की गई थी। जिसके फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में केवल 2 नंबर रेस्क्यू गाइड ही किराये पर लिए गये थे व वाइल्ड नौर्थ एडवेंचर गांव पिरड़ी, जिला कुल्लू (हि०प्र०) से अन्य 2 नंबर गाइड किराये पर लेने हेतु दर्शाया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त संदिग्ध भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या– 334 दिनांक 18.07.24 के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के ध्यानार्थ लाया गया। जिसकी अनुपालना में वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के पत्र संख्या–वाईएसएस एमआई आरडब्ल्यूएससी ऑडिट –डाईट/ सी -66 /2012-1343 दिनांक 1.08.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि रौफ्त व क्यांक अलग-अलग प्रकार की वोटें हैं व रौफ्त के साथ क्यांक का होना अति आवश्यक होता है। इसी कारण क्याकर व गाईड किराये पर लिए गये थे। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि बिल वाउचर में क्याकर उल्लेखित न होकर केवल रेस्क्यू गाइड व गाइड किराये पर लिए

गये थे व गाईडों को किराये पर लेने हेतु कोई भी निविदा प्राप्त नहीं की गई। अतः निविदा व गाइडों के नाम के बगैर किए गये भुगतान को उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त भुगतान की वसूली सम्बन्धित उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 गाड़ी संख्या –एच० पी० 58-8600 की लॉग बुक में पाई गई अनियमितताओं बारे:-

अंकेक्षण के दौरान क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम में गाड़ी संख्या –एच० पी० 58-8600 की लॉग बुक की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई हैं। जिनका निराकरण किया जाए।

(i) गाड़ी संख्या –एच० पी० 58-8600 की लॉग बुक पृष्ठ संख्या -20 के अंतर्गत माह 12/22 में आरंभिक डीजल की मात्रा 7 लीटर, माह के दौरान क्रय डीजल की मात्रा 44 लीटर कुल 51 लीटर की जगह 49 लीटर दर्ज करके 2 लीटर डीजल का दुरूपयोग किया गया था।

(ii) गाड़ी संख्या –एच० पी० 58-8600 की लॉग बुक पृष्ठ संख्या -07 के अंतर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार 80 किलोमीटर की यात्रा की गई थी। लेकिन उक्त यात्रा में न तो स्थान उल्लेखित था अर्थात किस स्थान से किस स्थान तक यात्रा की गई, यात्रा का उद्देश्य क्या था व उक्त यात्रा को किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	**लॉग बुक पृष्ठ संख्या**	**विवरण**	**जितने किलोमीटर यात्रा की गई**
1	7	दिनांक 20.11.21 को 10.30 बजे से 14.00 बजे तक जितनी यात्रा की गई	28
2	7	दिनांक 24.11.21 को 12.00 बजे से14.30 बजे तक जितनी यात्रा की गई	24
3	7	दिनांक 29.11.21 को 11.30 बजे से14.45 बजे तक	28

		जितनी यात्रा की गई	
		योग	**80**

(iii) गाड़ी संख्या –एच० पी० 58-8600 की लॉग बुक पृष्ठ संख्या -23 के अंतर्गत माह 2/23 के अंतिम शेष डीजल की मात्रा 8 लीटर थी, दिनांक 1.03.23 को बिलासपुर से पौंग डैम तक के लिए 178 किलो मीटर यात्रा की गई। गाड़ी में डीजल दिनांक 2.03.23 को 40 लीटर भरवाया गया। गाड़ी की औसत 9.05 किलोमीटर प्रति लीटर दर्शाई गई थी। गाड़ी द्वारा 178 किलोमीटर यात्रा करने हेतु डीजल की मात्रा 19.67 लीटर अपेक्षित थी। अतः 8 लीटर डीजल में 178 किलोमीटर यात्रा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iv) गाड़ी संख्या –एच० पी० 58-8600 की लॉग बुक पृष्ठ संख्या- 5 के अंतर्गत माह 10/21 के आरम्भिक शेष डीजल की मात्रा 4 लीटर थी, दिनांक 2.10.21 को बिलासपुर से पौंग डैम के लिए 188 किलो मीटर की यात्रा की गई। गाड़ी में दिनांक 3.10.21 को 39 लीटर डीजल भरवाया गया। गाड़ी की औसत 10.16 किलोमीटर प्रति लीटर दर्शाई गई थी। गाड़ी द्वारा 188 किलोमीटर यात्रा करने हेतु डीजल की मात्रा 18.50 लीटर अपेक्षित थी। अतः 4 लीटर डीजल में 188 किलोमीटर यात्रा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(v) गाड़ी बलेरो कैंपर (Balero Camper) की कंपनी द्वारा 16 किलोमीटर प्रति लीटर की औसत निर्धारित की गई थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गाड़ी संख्या –एच० पी० 58-8600 बलेरो कैंपर (Balero Camper) की औसत का निर्धारण सक्षम अधिकारी से नहीं करवाया गया था। लॉग बुक में अधिकत्तर गाड़ी की औसत 10 किलोमीटर प्रति लीटर से अधिक दर्ज की गई थी। जैसे कि पृष्ठ संख्या – 62 माह 4/14 में गाड़ी की औसत 10.94 किलोमीटर प्रति लीटर व पृष्ठ संख्या-64 माह 5/14 में गाड़ी की औसत 10.96 किलोमीटर प्रति लीटर दर्ज की गई थी। लेकिन अन्य प्रकरणों में उपरोक्त उल्लेखित औसत की जगह अत्याधिक कम औसत दर्ज करके डीजल का दुरूपयोग किया गया था। यदि माह 4/14 व माह 5/14 में 10.96 किलोमीटर प्रति लीटर को भी आधार मान लिया जाए, तब भी गाड़ी की

अत्याधिक कम औसत दर्ज करके डीजल की मात्रा का दुरूपयोग किया गया था। जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	लॉग बुक पृष्ठ संख्या	माह	जितने किलोमीटर यात्रा की गई	गाड़ी की औसत	खपत योग्य डीजल की मात्रा (लीटर में)	जितनी औसत दर्ज की गई	खपत की गई डीजल की मात्र	दुरूपयोग किए गये डीजल की मात्रा
1	98	9/15	1469	10.96	134	9.18	160	26
2	100	10/15	1570	10.96	143	8.26	190	47
3	102	11/15	871	10.96	79	9.16	95	16
4	104	12/15	1137	10.96	104	9.09	125	21
5	106	1/16	1667	10.96	152	9.01	185	33
6	107	2/16	553	10.96	50	9..21	60	10
7	132	8/17	775	10.96	71	9.01	86	15
8	136	10/17	1285	10.96	117	8.80	146	29
9	138	11/17	1986	10.96	181	8.56	232	51
10	140	12/17	2050	10.96	187	8.10	253	66
11	141	1/18	728	10.96	66	8.56	85	19
12	22	2/23	1071	10.96	98	9.31	115	17
13	23	3/23	1086	10.96	99	9.05	120	21
14	25	5/23	792	10.96	72	9.00	88	16
							योग	**387**

अतः गाड़ी की औसत की अपेक्षा अत्याधिक कम औसत दर्ज करके डीजल की मात्रा का दुरूपयोग करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दुरूपयोग किए गए डीजल की मात्रा के

वास्तविक मूल्य की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण दल को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में संस्था स्तर पर जांच करने उपरांत डीजल की मात्रा के किसी भी दुरूपयोग की अवस्था में सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्त उल्लेखित अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 356 दिनांक 31.07.24 के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के पत्र संख्या –वाईएसएस एमआई आरडब्ल्यूएससी ऑडिट –डाईट/ सी -66 /2012-1360 दिनांक 1.08.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि

(i) उपरोक्त क्रम संख्या (i) के संदर्भ में में स्पष्ट किया कि छानबीन करने उपरान्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः वास्तविक मात्रा की जगह कम डीजल की मात्रा दर्ज करके दुरूपयोग किए गये 2 लीटर डीजल की मात्रा के वास्तविक मूल्य की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवया जाए।

(ii) उपरोक्त क्रम संख्या (ii) के संदर्भ में स्पष्ट किया कि गाड़ी का प्रयोग 478 वां बेसिक जल क्रीड़ा कोर्स के दौरान अवधि 22.11.21 से 5.12.21 तक गाड़ी का प्रयोग तलवाड़ा से राशन के लिए प्रयोग किया गया था। लेकिन कार्य की अधिकता होने के कारण लॉग बुक में विवरण नहीं भरा था। अतः लॉग बुक में उक्त यात्राओं से सम्बन्धित विवरण भरा जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) उपरोक्त क्रम संख्या (iii) के संदर्भ में स्पष्ट किया कि छानबीन करने उपरांत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः दिनांक 1.03.23 को बिलासपुर से पौंग डैम तक 8 लीटर में 178 किलोमीटर यात्रा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iv) उपरोक्त क्रम संख्या (iv) के संदर्भ में स्पष्ट किया कि छानबीन करने उपरांत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः दिनांक 2.10.21 को बिलासपुर से पौंग डैम तक 4 लीटर में 188 किलो मीटर यात्रा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(v) उपरोक्त क्रम संख्या (v) के संदर्भ में स्पष्ट किया कि गाड़ी पुरानी है व उक्त वाहन सामान कैरी करने वाली है, जो एवरेज लॉग बुक में दर्शाई गई है वही एवरेज आती है। वर्तमान में सरकार के आदेशानुसार इस वाहन का समय अवधि पूर्ण हो जाने उपरांत प्रयोग बन्द कर दिया गया है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौग डैम द्वारा उक्त बाहन की औसत का निर्धारण सक्षम अधिकारी से नहीं करवाया गया था व मनमर्जी से लॉग बुक में डीजल की खपत दर्ज की गई थी। अतः उक्त वाहन की औसत का निर्धारण सक्षम अधिकारी से न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व लॉग बुक में मनमर्जी से वास्तविक औसत की जगह अत्याधिक कम औसत दर्ज करके दुरूपयोग किए गये डीजल की मात्रा के वास्तविक मूल्य की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 गाड़ी संख्या – एच०पी० 58-8600 का मुरम्मत एवं रख-रखाव रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 359 दिनांक 31.07.24 के अंतर्गत गाड़ी संख्या – एच०पी० 58-8600 का मुरम्मत एवं रख-रखाव रजिस्टर को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके प्रतियुत्तर में वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के पत्र संख्या –वाईएसएस एमआई आरडब्ल्यूएससी ऑडिट –डाईट/ सी -66 /2012-1358 दिनांक 1.08.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि गाड़ी संख्या– एच०पी० 58-8600 का मुरम्मत एवं रख-रखाव रजिस्टर मुख्यालय मनाली को प्रेषित कर दिया गया है व उक्त रजिस्टर को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः

प्रतियुत्तर अनुसार उक्त रजिस्टर को आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 निर्धारित सीमा से अधिक राशि आहरित करके नकद में भुगतान करना ₹2719000 :-

प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन (सी) ए (3)-5/2004 दिनांक 23.08.2011 के अनुसार ₹10000 व इससे अधिक के सामान/सेवा हेतु आर० टी० जी० एस०/ एन० ई० एफ० टी० द्वारा व सभी नियमित, ठेका व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के बैंक खातों में सीधे भुगतान किया जाना अपेक्षित था। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम द्वारा डाइट निधि से अंकेक्षण अवधि 1.04.2014 से 31.03.24 तक के दौरान निम्न विवरणानुसार निर्धारित सीमा से अधिक राशि आहरित करके नकद में भुगतान किया गया था । जोकि अनियमित था । उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 357 दिनांक 31.07.24 के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के पत्र संख्या –वाईएसएस एमआई आरडब्ल्यूएससी ऑडिट –डाईट/ सी -66 /2012-1356 दिनांक 1.08.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि बिजली व पानी के बिलों का भुगतान नकद में किया गया था व बी० बी० एम० बी० द्वारा कैश अदायगी ही स्वीकृत की जाती है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि बी० बी० एम० बी० द्वारा नकद में भुगतान प्राप्त करने से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण पत्र अभिलेख में मौजूद नहीं था। अतः निर्धारित सीमा से अधिक राशि आहरित करके नकद में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व निर्धारित सीमा से अधिक राशि आहरित करके नकद में किए गये अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

निर्धारित सीमा से अधिक राशि आहरित करके नकद में भुगतान करने के कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	चैक संख्या	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	आहरित की गई राशि (₹)
1	848438	12.02.15	11	60000
2	838442	2.03.15	44	25000
3	840721	18.03.15	88	75000
4	840733	19.06.16	93	50000
5	841168	21.07.16	97	75000
6	841248	2.03.17	109	24000
7	841250	9.03.17	109	50000
8	841251	15.03.17	109	150000
9	841253	30.03.17	109	100000
10	841260	10.04.17	112	50000
11	994551	17.04.17	112	75000
12	994559	3.05.17	118	100000
13	994565	16.05.17	118	100000
14	994570	25.05.17	119	150000
15	994946	13.03.18	140	80000
16	999947	20.03.18	141	75000
17	996119	14.05.18	147	100000
18	996148	1.10.18	158	75000

19	305610	11.03:19	168	75000
20	306917	10.07.19	175	100000
21	306920	23.07.19	175	100000
22	308036	9.09.19	183	50000
23	308040	25.09.19	183	50000
24	315850	9.07.20	19	20000
25	310366	20.07.20	19	55000
26	310375	11.08.20	22	40000
27	316436	3.03.21	37	100000
28	317968	4.04.22	64	25000
29	317970	19.04.22	64	50000
30	317972	6.05.22	64	50000
31	317973	12.05.22	64	40000
32	317976	20.05.22	64	40000
33	317981	27.05.22	64	80000
34	036142	6.06.23	98	50000
35	036146	20.07.23	101	70000
36	036149	18.08.23	103	50000
37	656104	30.10.23	107	50000
38	656105	28.11.23	110	80000
39	656108	12.01.24	117	80000
40	656109	8.02.24	119	50000
			योग	**2719000**

16 ₹8000 को हस्तगत रख-कर अस्थाई दुरूपयोग :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम में रसीद संख्या 3301 दिनांक 25.03.24 के अंतर्गत सूबेदार कोली प्रथम पैरा सी० एस० एफ० सी०/ ओ० 56 ए० पी० ओ० से दिनांक 10.03.24 व 15.03.24 के अतर्गत 10 कमरों 400 प्रति कमरे की दर से ₹8000 की राशि वसूली गई थी। लेकिन उक्त वसूली गई राशि को दिनांक 31.03.24 तक न तो रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज किया गया व न ही बैंक में जमा करवाया गया। फलस्वरूप उक्त राशि का दुरूपयोग किया गया। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 345 दिनांक 26.07.24 के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के ध्यानार्थ लाया गया। जिसकी अनुपालना में वरिष्ठ प्रशिक्षक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम के पत्र संख्या – वाईएसएस एमआई आरडब्ल्यूएससी ऑडिट –डाईट/ सी -66 /2012-1352 दिनांक 1.08.2024 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि उक्त राशि को चेस्ट में बन्द लिफाफे में बैंक में जमा करवाने हेतु रखा गया था व उक्त राशि को दिनांक 22.05.24 को बैंक में जमा करवाया गया था। उतर संतोषजनक नहीं था, क्योंकि उक्त राशि का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया था व उक्त राशि को वसूली उपरांत बैंक में जमा न करवाकर 57 दिनों तक हस्तगत रखकर अस्थाई दुरूपयोग किया गया था। अतः उक्त राशि को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अस्थाई दुरूपयोग करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज व दण्ड ब्याज की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 राशि प्राप्ति की रसीदें प्राप्त न करना ₹16995280 :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम से विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली को

निम्नलिखित विवरणानुसार ₹16995280 राशियाँ हस्तांतरित की गई थी। लेकिन उक्त कार्यालय में राशि प्राप्ति की रसीदें अभिलेख में सलंग्न नहीं थी व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की गई । अतः उक्त राशि प्राप्ति की रसीदें सम्बन्धित विभाग से प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि प्राप्ति की रसीदें सम्बन्धित विभाग से प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या/ दिनांक/ माह**	**चैक संख्या / दिनांक**	**राशि (₹)**
1	3197/ 20.10.16	841198/ 15.10.16	3109700
2	3333/ 31.03.17	841254/ 30.03.17	717176
3	4419 (A)/ 7/19	306919/ 20.07.19	5000000
4	4764/ 7.02.20	आर० टी० जी० एस० / 7.02.20	2999126
5	4833/ 3/20	315824/ 13.03.20	2312627
6	4912/ 7/20	310365/ 20.07.20	1402025
7	6101/ 5/23	036132/ 12.04.23	1454626
		योग	**16995280**

18 राफ्टिंग सेंटर पिरड़ी के बिजली बिलों के रूप में अनियमित भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, उपमंडल भुंतर को राफ्टिंग सेंटर पिरड़ी, जिला कुल्लू (हि० प्र०) के बिजली बिलों के रूप में ₹2972 का भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या /माह	मीटर संख्या	नाम व पता	अवधि	भुगतान की गई राशि (₹)
1	4397/ 7/19	14626071	Director, Mount 28 3313 Bhunter-172125	12.12.18 to 12.02.19	1250
2	4398/ 7/19	14626071	Director, Mount 28 3313 Bhunter, 172125	12.02.19 to 22.04.19	869
3	4399/ 7/19	14626071	Director, Mount 28 3313 Bhunter, 172125	22.04.19 to 23.06.19	853
				योग	**2972**

जबकि क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केद्र पौंग डैम निधि से राफ्टिंग सेंटर पिरड़ी, जिला कुल्लू (हि० प्र०) के बिजली बिलों के रूप में भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं था। फलस्वरूप उक्त भुगतान क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केद्र पौंग डैम के खाद्य निधि पर उचित एवं वैद्य प्रभार न होकर अनियमित भुगतान है। अतः उक्त भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित केंद्र अथवा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

19 स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ व जारी करने/खपत से सम्बन्धी अभिलेख मौजूद न होना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अंतर्गत विभिन्न फर्मों से स्थाई एवं अस्थाई सामान क्रय किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / माह	फर्म का नाम एवं पत्ता	विवरण	राशि (₹)
1	4400/ 7/19	सतीश कुमार सनी कुमार मोहल, जिला ऊना	फरनैल व हारपिक	260
2	4401/ 7/19	मै० नागचला बर्तन भण्डार, शमशी, जिला कुल्लू	ट्रे, टी-सेट इत्यादि	2997
3	4402/ 7/19	भुट्टी वीवर्स सहकारी समिति शमशी, जिला कुल्लू	मफरल, टोपी इत्यादि	1940
4	4403/ 7/19	बाला जी मेडिकल स्टोर मोहल जिला कुल्लू	दवाईयां	756
5	4404/ 7/19	घेपन मेडिकल स्टोर, भुंतर, जिला कुल्लू	दवाईयां	195
6	4405/ 7/19	घेपन मेडिकल स्टोर, भुंतर, जिला कुल्लू	दवाईयां	170
7	4412/ 7/19	पंकज आर्ट एडवरटाइजर ढालपुर कुल्लू	सूचना पट 7x4, सूचना पट 3x2,	5200
8	4413/ 7/19	ठाकुर बर्द्रज स्टील इंडस्ट्री मोहल, जिला कुल्लू	चादर 7x4, छोटा बोर्ड व चादर 3x2	6500
9	4414/ 7/19	हरी ओम कॉटन इंडस्ट्री मोहल जिला कुल्लू	मेज, टेबल कवर इत्यादि	4897
			योग	**22915**

लेकिन उक्त क्रय किए गये स्थाई एवं अस्थाई सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ व जारी करने /खपत से सम्बन्धित अभिलेख मौजूद नहीं था। स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ व जारी करने / खपत से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त क्रय किए गये सामान के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ व जारी करने /खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 (i) राशन की वास्तविक मात्रा की जगह राशन स्टॉक रजिस्टर में कम मात्रा दर्ज करके दुरूपयोग:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न बिलों के अंतर्गत क्रय किए गये राशन की वास्तविक मात्रा की जगह राशन स्टॉक रजिस्टर में कम मात्रा दर्ज करके सामान का दुरूपयोग किया गया था।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ माह	बिल संख्या/ दिनांक	मद का नाम	क्रय मात्रा	स्टॉक रजिस्टर संख्या/पृष्ठ संख्या	स्टॉक रजिस्टर में दर्ज मात्रा	कम दर्ज मात्रा	दर	मूल्य (₹)
1	6109/ 5/23	sk-23-24/68/ 24.04.23	दूध	15 पैकेट	63(13)/ 57	10 पैकेट	5 पैकेट	205	1025
2	5684/ 6/22	437/ 13.06.22	ब्रेड	25 पैकेट	63(12)/ 188	23 पैकेट	2 पैकेट	35	70
3	5676/ 6/22	010/ 30.05.22	निम्बू	2 किलो ग्राम	63(12)/ 129	0	2 किलो ग्राम	80	160
4	5678/ 6/22	012/ 9.06.22	निम्बू	2 किलो	63(12)/ 129	0	2 किलो	80	160

				ग्राम			ग्राम		
5	5679/ 6/22	013/ 9.06.22	निम्बू	0.500 ग्राम	63(12)/ 129	0	0.500 ग्राम	80	40
6	5680/ 6/22	014/ 15.06.22	निम्बू	3 किलो ग्राम	63(12)/ 129	0	3 किलो ग्राम	80	240
7	5274/ 4/21	TIG/856/ 2.02.21	आटा	220 किलो ग्राम	63(12)/ 2-3	200 किलो ग्राम	20 किलो ग्राम	25	500
8	5274/ 4/21	TIG/856/ 2.02.21	बेसन	10 किलो ग्राम	63(13)/ 166	2 किलो ग्राम	8 किलो ग्राम	70	560
9	5269/ 4/21	TIG/993/ 6.03.21	दूध पाउडर	5 किलो ग्राम	63(12)/ 187	2 किलो ग्राम	3 किलो ग्राम	361.90	1086
10	5255/ 4/21	657/ 4.01.21	मशरुम	1½ किलो ग्राम	001/ 69	0	1½ किलो ग्राम	-	145
11	4263/ 3/19	3270/ 26.02.19	ताजा चाय	8 पैकेट	63(13)/ 176	0	8 पैकेट	52.38	419
12	4337/ 7/19	221/ 27.04.19	बिस्कुट	30 पैकेट	63(13)/ 183	10 पैकेट	20 पैकेट	16	320
13	4337/ 7/19	365/ 17.05.19	दूध एव्री डे	8 पैकेट	63(13)/ 186	3 पैकेट	5 पैकेट	409	2045
14	4337/ 7/19	221/ 27.04.19	बिस्कुट	30 पैकेट	63(13)/ 183	10 पैकेट	20 पैकेट	16	320

अतः उपरोक्त उल्लेखित वास्तविक राशन की जगह स्टॉक रजिस्टर में कम राशन दर्ज करने वारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकरण में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) राशन स्टॉक रजिस्टर में वास्तविक शेष की जगह कम शेष दर्शाकर राशन का दुरूपयोग :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि राशन स्टॉक रजिस्टर में वास्तविक शेष की जगह कम शेष दर्शाकर राशन का दुरूपयोग किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	रजिस्टर संख्या/ पृष्ठ संख्या	मद का नाम	दिनांक	मात्रा	जारी की गई मात्रा	वास्तविक मात्रा	दर्ज मात्रा	कम मात्रा
1.	63(13)/ 97-98	रिफाइंड	1.04.22	1 टीन व 8 कि०ग्रा० (23 कि०ग्रा०)	आधा टीन व 6 कि०ग्रा० (13½ कि०ग्रा०	9½ कि०ग्रा०	7½ कि० ग्रा०	2 कि०ग्रा०
2	63(13)/ 97-98	रिफाइंड	6.05.22	3 टीन व 7.5 कि०ग्रा० (52.500 कि०ग्रा०)	3 टीन व 5 कि०ग्रा० (50 कि०ग्रा०	2½ कि०ग्रा०	0	2½ कि०ग्रा०
3	63(13)/ 11	चावल	26.2.19	67 किलो ग्राम	46 किलो ग्राम	21 किलो ग्राम	0	21 किलो ग्राम

अतः उपरोक्त उल्लेखित वास्तविक राशन की जगह स्टॉक रजिस्टर में कम राशन दर्ज करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकरण में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 मूल बिलों के स्थान पर फोटोस्टेट बिलों पर ₹27070 का भुगतान करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही के व्यय पक्ष में निम्नलिखित वाउचर के अंतर्गत भुगतान किया गया दर्शाया था, परन्तु मूल बिल की फोटोस्टेट प्रति ही अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई, क्योंकि मूल बिल /वाउचर फाईल में मौजूद नहीं था। अतः मूल बिल/वाउचर के स्थान पर फोटोस्टेट बिल/वाउचर अभिलेख में सलंग्न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व ₹27070 से सम्बन्धित मूल बिल/ वाउचर आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	माह/ दिनांक	फर्म का नाम	विवरण	राशि (₹)
1	4258	3/19	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, तलवाड़ा टाउनशिप -144216	मीटर संख्या - 27323 बिजली बिल अवधि 12.12.18 से 12.02.19	27070

22 अन्य:-

(i) अधिक एवं गलत भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 4265 दिनांक 31.03.19 को बिल संख्या 134 दिनांक 5.01.19 के अंतर्गत पहलवान मीट शॉप खोखा मार्किट पौंग डैम से दिनांक 31.12.18 को 5 किलो मुर्गा ₹160 प्रति किलो की दर से वास्तविक देय योग्य भुगतान ₹800 की जगह ₹2000 का भुगतान करके ₹1200 (2000-800) का अधिक भुगतान किया गया था। अतः वास्तविक देय योग्य भुगतान की जगह अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित फर्म अथवा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) अधिक व्यय दर्ज करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 4385 माह 7/19 के दौरान भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, तलवाड़ा टाउनशिप -144216 को बिजली मीटर संख्या 27323 के अंतर्गत अवधि 2.04.19 से 2.06.19 तक बिजली बिल ₹19456 की जगह रोकड़ बही के व्यय पक्ष नकद कॉलम में ₹20259 का व्यय दर्ज किया गया था। फलस्वरूप वास्तविक व्यय की जगह ₹803 (20259-19456) अधिक व्यय दर्ज किया गया था। अतः वास्तविक व्यय की जगह अधिक व्यय दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अधिक व्यय की समायोजन रोकड़ बही में की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 4395 माह 7/19 के दौरान गौतम सिंह को राफ्टिंग सेंटर पिरड़ी में चल रहे गाइड कोर्स के दौरान एक अतिरिक्त राफ्ट, कम्पनी एलपाइन हेलीपैड से किराये पर लेने के कारण 5000 का भुगतान किया गया था। उक्त भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं जिनका निराकरण किया जाए।

(क) उक्त फर्म से उचित बिल प्राप्त न करके कोरे कागज पर रसीद बना कर भुगतान किया गया था। अतः उक्त फर्म से उचित बिल प्राप्त न करके कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त फर्म से उचित बिल प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) रसीद पर राफ्टिंग सेंटर पिरड़ी में चल रहे गाइड कोर्स की अवधि उल्लेखित नहीं थी व यह भी उल्लेखित नहीं था कि राफ्ट किस तिथि से किस तिथि तक, कितने दिनों के लिए, किस दर पर किराये पर लिया गया। उक्त विवरण के अभाव में दर्शाया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः उक्त रसीद में वांछित विवरण उल्लेखित न होने

के बावजूद भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित विवरण उल्लेखित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) उपरोक्त उल्लेखित भुगतान को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित नहीं किया गया था । अतः उक्त भुगतान को आहरण एवं संवितरण अधिकारी से भुगतान हेतु पारित न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त भुगतान को सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी से पारित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) समाचार पत्र स्टॉक रजिस्टर तैयार न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम द्वारा अवधि 4/14 से 3/24 तक के दौरान क्रय किए गये समाचार पत्रों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं की गई थी व न ही समाचार पत्र रजिस्टर तैयार किया गया था। अतः तुरन्त प्रभाव से समाचार पत्र रजिस्टर तैयार करने उपरांत सभी क्रय किए गये समाचार पत्रों की स्टॉक प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(v) अग्रिम रजिस्टर का रख-रखाव न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/24 तक के दौरान क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रदान किए गये अग्रिमों का लेखा-जोखा रखने के लिए अग्रिम रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। जबकि नियमानुसार अग्रिम रजिस्टर तैयार करना अनिवार्य था। अतः अग्रिम रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरंत प्रभाव से अग्रिम रजिस्टर तैयार करने उपरान्त सभी प्रदान किए गये अग्रिमों व समायोजन से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस को अवगत करवाया जाए।

(vi) टेलीफोन रजिस्टर का रख-रखाव न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/24 तक के दौरान टेलीफोन रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। अतः तुरन्त प्रभाव से टेलीफोन रजिस्टर तैयार करने उपरान्त इसमें आवश्यक प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(vii) बिजली के बिलों का रजिस्टर तैयार न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/24 तक के दौरान बिजली बिलों का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जबकि बिजली के बिलों का बिजली के मीटर के अनुसार रजिस्टर तैयार करने उपरान्त मीटर नंबर, पुरानी व नई मीटर रीडिंग व खपत की गई यूनिट मात्रा के अनुसार प्रविष्टियाँ दर्ज करनी अपेक्षित थी। अतः बिजली के बिलों का रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किए जाए व तुरंत प्रभाव से बिजली के बिलों का रजिस्टर तैयार करने उपरान्त आवश्यक प्रविष्टियाँ दर्ज की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(viii) भौतिक सत्यापन न करवाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/24 तक के दौरान क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र द्वारा स्टोर व स्टॉक में शेष बचे सामान का कमेटी गठित करके भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया था। जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में स्टोर व स्टॉक में शेष बचे सामान का कमेटी गठित करके भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य था। अतः अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/24 तक के दौरान स्टोर व स्टॉक में शेष बचे सामान का

कमेटी गठित करने उपरान्त भौतिक सत्यापन करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 **लघु आपति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

24 **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता है।

(रविन्द्र कंवर)
संयुक्त निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं० –0177–2620881

का०/उली

4656 – 4659 18 SEP 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल०ए०) एच(2)सी (15) (14) 293/2012 खण्ड–1 दिनाँक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली, हि०प्र०।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 अवर सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल) हि०प्र० सरकार, शिमला–171002

पंजीकृत 4 वरिष्ठ जल क्रीड़ा अनुदेशक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केन्द्र पौंगडैम, जिला काँगड़ा, हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

18 SEP 2024

(रविन्द्र कंवर)
संयुक्त निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं० –0177–2620881

का०/उली

पैरा संख्या - 4(i) से सम्बन्धित

परिशिष्ट-क (69

Commercial account financial position of Regional Water Sports Centre Pong Dam Distt Kangra HP						
w.e.f 01-04-2014 to 31-03-2024						
Financial year	Opening Balance	Income	Interest	Total	Expenditure/withdrawal	Closing Balance
2014-15	7134	0	271	7405	0	7405
2015-16	7405	0	287	7692	0	7692
2016-2017	7692	0	376	8068	0	8068
2017-2018	8068	0	289	8357	0	8357
2018-2019	8357	0	285	8642	0	8642
2019-2020	8642	0	287	8929	0	8929
2020-2021	8929	0	238	9167	0	9167
2021-2022	9167	0	241	9408	0	9408
2022-2023	9408	0	248	9656	0	9656
2023-2024	9656	0	62	9718	0	9718

Balance as per financial statement as on31-03-2024 = 9718

Balance as per pass book as on 31-03-2024 in SBI Sansarpur terrace in = 9411

Saving Account no-11518129493

Difference Shown in = 307

Audit report for the period 25-012-1979 to 31-03-2011 vide

Para no-04 (ii) of Financial position

Sr. Instructor Water Sports
Water Sports Training Centre
Pong Dam, Distt. Kangra (H.P.)

पैरा संख्या - 4 (ii) से सम्बन्धित   परिशिष्ट - के-1   (70)

Commercial Boating and Canteen account financial position of Regional Water Sports Centre Pong Dam Distt Kangra HP						
w.e.f 01-04-2014 to 31-03-2024						
Financial year	Opening Balance	Income	Interest	Total	Expenditure/withdrawal	Closing Balance
2014-15	7882	0	307	8189	0	8189
2015-16	8189	0	138	8327	7992	335
2016-2017	335	0	03	338	68	270

Balance as per financial statement as on31-03-2024 = 270

Balance as per pass book as on 31-03-2024 in PNB Sansarpur terrace in = 0
Saving Account no-2075000100029862

Difference Shown in = 270
Audit report for the period 25-012-1979 to 31-03-2011 vide
Para no-04 (iii) of Financial position

Sr. Instructor Water Sports
Water Sports Training Centre
Pong Dam, Distt. Kangra (H.P.)

82

क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम, तहसील फतेहपुर, जिला काँगड़ा (हि० प्र०) खाद्य निधि (Diet Account) वित्तीय स्थिति अवधि 1.04.2014 से 31.03.2024						
वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष	आय	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	944535	6301164	40046	7285745	6005349	1280396
2015-16	1280396	6279873	127304	7687573	4807276	2880297
2016-17	2880297	7865946	74321	10820564	8698391	2122173
2017-18	2122173	6342775	51144	8516092	8217236	298856
2018-19	298856	6638869	100827	7038552	4065906	2972646
2019-20	2972646	13906760	51750	16931156	15710508	1220648
2020-21	1220648	2527837	39499	3787984	2964020	823964
2021-22	823964	3054981	12105	3891050	3478332	412718
2022-23	412718	5762373	9602	6184693	4306887	1877806
2023-24	1877806	7909975	60936	9848717	8049397	1799320

(क) रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति में अंतर :-

रोकड़ बही के अनुसार अंतिम शेष	2045407
वित्तीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष	1799320
अंतर	246087

अन्तर का कारण :-				
विवरण		नकद कॉलम	बैंक कॉलम	योग
दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही के अनुसार अंतिम शेष		112494	1932913	2045407
जमा	दिनांक 29.03.15 को रोकड़ बही के पेज संख्या -48 में रोकड़ कॉलम के वास्तविक अन्तिम शेष ₹267075 की जगह दिनांक	(+) 10	0	(+) 10

	30.03.15 को ₹267065 उठाने के कारण कम शेष दर्ज करना			
घटाव	रोकड़ बही पेज संख्या -36 माह 2/21 में आय पक्ष बैंक कॉलम के वास्तविक योग ₹558147 की जगह ₹558153 दर्ज करके अधिक योग दर्ज करना	0	(-) 6	(-) 6
घटाव	दिनांक 30.06.22 को रोकड़ बही पेज संख्या -65 में रोकड़ कॉलम के कुल योग ₹288936 में से ₹357979 व्यय घटाने उपरान्त वास्तविक शेष -₹69043 की जगह ₹69048 दर्ज करने के कारण रोकड़ का अधिक शेष दर्ज करना	(-)138091	0	(-)138091
घटाव	रोकड़ बही पेज संख्या-87 माह 2/23 बैंक कॉलम के योग ₹2796589 में से व्यय ₹698352 घटाने उपरान्त वास्तविक अंतिम शेष ₹2098237 की जगह ₹2107237 दर्ज करने के कारण अधिक शेष दर्ज करना	0	(-) 9000	(-)9000
घटाव	रोकड़ बही पेज संख्या 107 माह 10/23 बैंक कॉलम में दर्ज वास्तविक व्यय का योग ₹110000 की जगह ₹11000 दर्ज करने के कारण कम व्यय दर्ज करना	0	(-) 99000	(-) 99000
दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष		(-) 25587	1824907	1799320

Sr. Instructor Water Sports
Water Sports Training Centre
Pong Dam, Distt. Kangra (H.P.)

क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग डैम, तहसील फतेहपुर, जिला काँगड़ा (हि० प्र०)

वित्तीय स्थिति व बैंक खाते में अंतर :-

दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष		1799320.00
(i) दिनांक 31.03.2024 को के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 के अनुसार अन्तिम शेष	1619663.85	4939125.85
(ii) दिनांक 31.03.2024 तक सावधिक निवेश के अंतर्गत निवेशित राशि	3319462.00	
अंतर		3139805.85

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-

दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष			1799320.00
घटाव	हस्तगत रोकड़ का शेष घटाव में होना (-25587) (वास्तव में हस्तगत रोकड़ मौजूद नहीं थी व उक्त शेष बैंक से समायोजित किया गया है)	(+)	25587
जमा	दिनांक 17.03.15 को बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि ₹3117.50 की जगह रोकड़ बही पेज संख्या -46 में ₹3117 दर्ज करना	(+)	0.50
जमा	दिनांक 4.03.17 को बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि ₹125982.75 की जगह रोकड़ बही पेज संख्या – 109 में ₹125982 दर्ज करना	(+)	0.75
जमा	दिनांक 31.05.17 को बैंक द्वारा दिया गया ब्याज जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया।	(+)	33832
जमा	दिनांक 10.04.17 को बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि ₹414028.75 की जगह रोकड़ बही पेज संख्या – 112 में ₹414028 दर्ज करना	(+)	0.75
जमा	दिनांक 17.09.18 को बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि ₹8797.05 की जगह रोकड़ बही पेज संख्या – 155 में ₹8797 दर्ज करना	(+)	0.05
जमा	दिनांक 20.07.19 को बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि ₹375322.40 की जगह रोकड़ बही पेज संख्या – 176 में ₹375322 दर्ज दर्ज करना	(+)	0.40
जमा	दिनांक 20.07.19 को बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि ₹381812.40 की जगह रोकड़ बही पेज संख्या – 176 में ₹381812 दर्ज करना	(+)	0.40
जमा	दिनांक 31.08.19 को राजकीय कोष से बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया	(+)	1568
जमा	दिनांक 31.08.19 को बैंक द्वारा दिया गया ब्याज जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया।	(+)	18653
जमा	दिनांक 26.02.21 को बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया	(+)	3500
जमा	माह 3/21 को रोकड़ बही के पेज संख्या-37 वाउचर संख्या- 5203 के अंतर्गत	(+)	7

	दर्ज व्यय राशि ₹26130 के विरुद्ध बैंक द्वारा दिनांक 4.03.21 को राशि ₹26123 डेबिट करना		
जमा	दिनांक 8.11.21 को बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान की गई राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया	(+)	1
जमा	दिनांक 13.12.21 को निरस्त आर० टी० जी० एस० को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करना	(+)	2400
जमा	माह 12/21 को रोकड़ बही पेज संख्या -57 पर व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5468 के अंतर्गत दर्ज व्यय को बैंक द्वारा डेबिट न करना	(+)	7200
जमा	माह 12/21 को रोकड़ बही पेज संख्या -57 पर व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5470 के अंतर्गत दर्ज व्यय को बैंक द्वारा डेबिट न करना	(+)	4500
जमा	माह 12/21 को रोकड़ बही पेज संख्या -57 पर व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5471 के अंतर्गत दर्ज व्यय को बैंक द्वारा डेबिट न करना	(+)	9000
जमा	दिनांक 11.05.22 को रोकड़ बही के पेज संख्या-61 पर दर्ज व्यय राशि ₹11256 के विरुद्ध बैंक द्वारा दिनांक 4.06.22 को डेबिट की गई राशि ₹11250	(+)	6
जमा	दिनांक 30.11.22 को बैंक द्वारा दिया गया ब्याज जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया।	(+)	4273
जमा	दिनांक 28.02.23 को बैंक द्वारा ब्याज दी गई राशि ₹6741 की जगह रोकड़ बही के पेज संख्या -84 पर कम राशि ₹6441 दर्ज करना	(+)	300
जमा	दिनांक 3.05.22 को रोकड़ बही पेज संख्या -62 पर व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5594 के अंतर्गत दर्ज व्यय को बैंक द्वारा डेबिट न करना	(+)	2420
जमा	माह 5/23 में रोकड़ बही के पेज संख्या-96 पर दर्ज व्यय राशि ₹45785 के विरुद्ध बैंक द्वारा दिनांक 30.05.23 को डेबिट की गई राशि ₹45787	(+)	2
जमा	रोकड़ बही के पेज संख्या-96 पर वाउचर संख्या-6117 के वास्तविक व्यय ₹12690 की जगह 12960 दर्ज करके बैंक द्वारा दिनांक 30.05.23 को डेबिट की गई राशि ₹12690	(+)	270
घटाव	दिनांक 16.06.12 को व्यय राशि ₹23340 की जगह चैक संख्या 724240 के अंतर्गत अधिक भुगतान राशि ₹24340	(-)	1000
घटाव	दिनांक 16.03.13 को रसीद संख्या 1994 के अंतर्गत प्राप्त राशि को बैंक में जमा न करवाना	(-)	500
घटाव	दिनांक 22.04.13 को चैक संख्या 724301 के अंतर्गत अधिक भुगतान राशि	(-)	1
घटाव	दिनांक 31.08.15 को चैक संख्या 839612 के अंतर्गत व्यय राशि ₹10210 की जगह रोकड़ बही पेज संख्या -70 में ₹10206 दर्ज करना	(-)	4
घटाव	दिनांक 21.08.14 को बैंक द्वारा क्रेडिट की गई राशि ₹92290 की जगह रोकड़ बही पेज संख्या -16 पर ₹92400 दर्ज करके अधिक दर्ज करना	(-)	110

घटाव	दिनांक 26.11.15 को चैक संख्या 212604 से 212606 के अंतर्गत बैंक द्वारा काटे गए प्रभारों को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज न करना	(-)	75
घटाव	दिनांक 15.01.18 को बैंक द्वारा काटे गए प्रभारों को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज न करना	(-)	15
घटाव	दिनांक 15.01.18 को बैंक द्वारा काटे गए प्रभारों को रोकड़ बही के व्यय पक्ष की जगह पेज संख्या -136 में आय पक्ष में गल्त दर्ज करना	(-)	15
घटाव	दिनांक 10.04.18 को बैंक द्वारा काटे गए प्रभारों को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज न करना	(-)	15
घटाव	दिनांक 10.04.18 को बैंक द्वारा काटे गए प्रभारों को रोकड़ बही के व्यय पक्ष की जगह माह 4/21 में पेज संख्या 145 पर आय पक्ष में गल्त दर्ज करना	(-)	15
घटाव	रोकड़ बही के व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 4208 पेज संख्या 163 में दर्ज व्यय ₹32000 को बैंक द्वारा आर० टी० जी० एस० निरस्त करके ₹31995 क्रेडिट प्रदान करना व पुनः दिनांक 14.12.18 को ₹32000 की राशि डेबिट करना	(-)	5
घटाव	दिनांक 21.08.20 को क्रडिट प्रदान की गई राशि ₹51965 की जगह रोकड़ बही के आय पक्ष पेज संख्या -22 पर ₹52000 दर्ज करना	(-)	35
घटाव	बैंक से चैक संख्या 317959 दिनांक 9.11.21 के अंतर्गत आहरित की गई राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया	(-)	49000
घटाव	बैंक से चैक संख्या 317965 दिनांक 19.01.22 के अंतर्गत आहरित की गई राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया	(-)	49000
घटाव	बैंक से चैक संख्या 317966 दिनांक 9.03.22 के अंतर्गत आहरित की गई राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया	(-)	20000
घटाव	बैंक से चैक संख्या 317967 दिनांक 22.03.22 के अंतर्गत आहरित की गई राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया	(-)	49000
घटाव	रोकड़ बही पेज संख्या 60 माह 3/22 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5542 के अंतर्गत मक्कड़ एजेंसी को नकद कॉलम में दर्ज़ व्यय ₹1090 को पुनः दिनांक 22.04.22 के अंतर्गत एन० ई० एफ० टी० द्वारा दोहरा भुगतान करना	(-)	1090
घटाव	रोकड़ बही पेज संख्या 60 माह 3/22 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5542 के अंतर्गत बैंक से भुगतान की गई राशि का रोकड़ खाते में इन्द्राज	(-)	1090
घटाव	रोकड़ बही पेज संख्या 60 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5543 माह 4/22 के अंतर्गत मै० गैस एजेंसी शहीद अशोक कुमार फतेहपुर को दिनांक 22.04.22 व पुनः दिनांक 11.05.22 के अंतर्गत दोहरा भुगतान करना	(-)	21200
घटाव	रोकड़ बही पेज संख्या 58 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5500 माह 1/22 के अंतर्गत मै० कौल इलेक्ट्रिकल्स तलवाड़ा को दिनांक 7.02.22 व पुनः दिनांक 4.08.22 के अंतर्गत दोहरा भुगतान करना	(-)	3070
घटाव	रोकड़ बही पेज संख्या 67 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5713 माह 7/22 के अंतर्गत वरुण गुप्ता को बैंक से प्रदान की गई राशि का रोकड़ कॉलम में इन्द्राज करना	(-)	3960

घटाव	रोकड़ बही पेज संख्या 82 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5906 माह 1/23 के अंतर्गत दिनांक 25.01.23 को बैंक द्वारा भुगतान की गई राशि का रोकड़ कॉलम में इन्द्राज करना	(-)	9554
घटाव	रोकड़ बही पेज संख्या 65 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 5693 माह 6/22 के अंतर्गत मै० पुरी स्वीट शॉप तलवाड़ा वास्तविक व्यय राशि 15270 की जगह दिनांक 25.07.22 को बैंक द्वारा डेबिट की गई राशि 15720	(-)	450
घटाव	रोकड़ बही पेज संख्या 91 व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 6064 माह 4/22 के अंतर्गत श्री अजय कुमार को दिनांक 14.04.23 को ₹9800 एन० ई० एफ० टी०, पुनः दिनांक 21.04.23 को चैक संख्या 36133 के अंतर्गत ₹9800 भुगतान की गई राशि, अधिक भुगतान की वसूली रसीद संख्या 3231 दिनांक 27.04.23 के अंतर्गत आय पक्ष में पेज संख्या -91 पर रोकड़ कॉलम में ₹9800 व पुनः आय पक्ष में पेज संख्या -95 पर बैंक कॉलम में ₹9800 का गल्त इन्द्राज करना	(-)	19600 (9800+9800)
घटाव	रोकड़ बही के पेज संख्या 98 माह 6/23 वाउचर संख्या 6123 से 6126 के अंतर्गत दर्ज व्यय 11970 की एन० ई० एफ० टी० निरस्त होने पर बैंक द्वारा ₹11976 की राशि क्रेडिट करके दिनांक 7.06.23 को पुनः एन० ई० एफ० टी० के अंतर्गत ₹11976 राशि डेबिट करना	(-)	6
घटाव	दिनांक 6.06.22 को निरस्त एन० ई० एफ० टी० को रोकड़ बही पेज संख्या-98 आय पक्ष में गल्त इन्द्राज करना	(-)	11976
घटाव	दिनांक 1.06.23 को निरस्त एन० ई० एफ० टी० को रोकड़ बही पेज संख्या-98 आय पक्ष में गल्त इन्द्राज करना	(-)	2544
घटाव	दिनांक 6.06.23 को निरस्त एन० ई० एफ० टी० को रोकड़ बही पेज संख्या-98 आय पक्ष में गल्त इन्द्राज करना	(-)	2544
घटाव	दिनांक 6.06.23 को निरस्त एन० ई० एफ० टी० को रोकड़ बही पेज संख्या-98 आय पक्ष में गल्त इन्द्राज करना	(-)	3960
घटाव	दिनांक 6.06.23 को निरस्त एन० ई० एफ० टी० को रोकड़ बही पेज संख्या-98 आय पक्ष में गल्त इन्द्राज करना	(-)	3960
घटाव	रोकड़ बही के व्यय पक्ष में वाउचर संख्या – 6138 माह 6/23 के अंतर्गत व्यय राशि ₹9660 की जगह बैंक द्वारा ₹9720 की राशि गल्त राशि डेबिट करके मै० कुलवंत जनरल स्टोर तलवाड़ा को अधिक भुगतान करना	(-)	60
घटाव	रोकड़ बही के व्यय पक्ष में पेज संख्या – 107 वाउचर संख्या 6255 माह 10/23 के अंतर्गत आर० टी० जी० एस० द्वारा भुगतान की गई राशि को रोकड़ कॉलम में गल्त दर्ज करना	(-)	2968
घटाव	रोकड़ बही पेज संख्या-106 के व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 6244 माह 9/23 के दौरान बिल संख्या 168 दिनांक 14.07.23 राशि ₹2800 का भुगतान श्री गुरविंदर को नकद व पुनः ₹2300 का आर० टी० जी० एस० द्वारा दोहरा भुगतान करना	(-)	2300

घटाव	रोकड़ बही पेज संख्या 105 के व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 6241 माह 9/23 के अंतर्गत श्री दीपक गुप्ता को नकद में ₹2772 व पुनः आर० टी० जी० एस० के द्वारा दिनांक 7.10.23 को दोहरा भुगतान करना	(-)	2772
घटाव	रोकड़ बही पेज संख्या 105 के व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 6242 9/23 के अंतर्गत श्री वरुण गुप्ता को नकद में ₹2772 व पुनः आर० टी० जी० एस० के द्वारा दिनांक 7.10.23 को दोहरा भुगतान करना	(-)	2772
घटाव	रोकड़ बही पेज संख्या 113 के व्यय पक्ष में वाउचर संख्या 6338 माह 12/23 के अंतर्गत मै०कोचर हार्डवेयर स्टोर तलवाड़ा को आर० टी० जी० एस० द्वारा दिनांक 14.12.23 ₹28510 व पुनः दिनांक 7.02.24 को दोहरा भुगतान करना	(-)	28510
घटाव	रोकड़ बही पेज संख्या -95 वाउचर संख्या -6101 माह 5/23 चैक संख्या -036132 दिनांक 12.04.23 के अंतर्गत सरकारी शुल्क के रूप में भेजी गई राशि ₹1454626 की जगह रोकड़ बही में ₹1454624 दर्ज करना	(-)	2
जमा	दिनांक 31.03.24 तक सावधिक निवेश के अंतर्गत निवेशित राशि जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया		3319462
दिनांक 31.03.2024 तक बैंकों के अनुसार अंतिम शेष (के० सी० सी० बी० संसारपुर टैरेस के बचत खाता संख्या 50055164848 = ₹1619663.85 व सावधिक निवेश के अंतर्गत निवेशित राशि = ₹3319462)			4939125.85

Sr. Instructor Water Sports
Water Sports Training Centre
Pong Dam, Distt. Kangra (H

89